# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 9 फरवरी, 2019 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

## वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमान/वार्षिक वित्तीय विवरण

**उपाध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमान/वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

**मुख्यमंत्री**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से, मैं वर्ष 2019–20 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. दिसम्बर, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में आई थी। इससे प्रदेश की राजनीति में एक युग परिवर्तन हुआ। पीढ़ी बदली और सोच भी बदली। प्रदेश की राजनीति में बदले की भावना एवं आरोप–प्रत्यारोप की प्रवृति को विराम देते हुए, हमारी सरकार ने केवल प्रदेश के विकास को नीतियों का केन्द्र बिन्दु बनाया। हमारी सरकार ने पहले 13 महीनों में ही प्रदेश वासियों के हित में बहुत सारे नए initiatives लिये और नई योजनाएं आरम्भ की। अब तक का कार्यकाल एक **'ईमानदार प्रयास, सबका विकास'** का एक जीता जागता उदाहरण है।

3. माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प **"सबका साथ–सबका विकास"** के आधार पर ही प्रदेश की विकास नीति का निर्धारण किया गया है जिससे विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। हमारी सरकार नीति निर्धारण हेतु भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र को आधार बनाकर चल रही है।

4. विकास की इस नई पहल में हमारी सरकार ने आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के आम व्यक्ति को अपनी समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु प्रदेश के मन्त्रियों एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिला। जनवरी, 2019 के अन्त तक प्रदेश में 106 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 33,966 शिकायतों एवं माँग पत्रों का निपटारा किया गया। जनमंच कार्यक्रमों में आम जन की लगातार बढ़ती उपस्थिति इसकी लोकप्रियता का सूचक है।

**5.** सत्ता परिवर्तन के साथ लोगों की उम्मीद थी कि प्रशासन में नयापन आए तथा पुरानी सोच से हटकर कार्य हो। हिमाचल की जनता की उम्मीदों के अनुसार कार्य करने के लिये यह आवश्यक था कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाए। मैं जनता की तकलीफों को करीब से समझ सकूं और जनता मुझे समझ सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने लगभग सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया है, जिस कारण मैं प्रदेश की जनता और उनकी समस्याओं को करीब से देख व समझ पाया हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगाः–

*यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल,*
*एक जूनून सा दिल में जगाना पड़ता है,*
*पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना बोली,*
*"भरनी पड़ती है उड़ान बार–बार,*
*तिनका–तिनका उठाना पड़ता है"*

**6.** जैसा कि हम सबको विदित है, केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धित **संवैधानिक संशोधन विधेयक** पास किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इस संशोधन के पश्चात् भी अनुसूचित जाति, जन–जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था यथावत् रहेगी। हमारा यह मानना है कि इस बेमिसाल निर्णय से सामान्य वर्ग के गरीब और पात्र व्यक्तियों को उच्च शिक्षा और रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सुनिश्चित होंगे, जिससे कि वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकेंगे। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

**7.** गत् कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीव्र विकास दर प्राप्त करने वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक उभरकर सामने आई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2017–18 में वृद्धि की दर 6.7 प्रतिशत रही और 2018–19 में भी यह दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 40,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में माह अप्रैल से दिसम्बर के दौरान भारत के निर्यात में 13.79 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज़ की गई है। मुद्रास्फीति की दर दिसम्बर, 2018 में 2.19 प्रतिशत अनुमानित है। मंहगाई पूरी तरह से नियंत्रण में है जो कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। विश्व बैंक Ease of Doing Business Report के अनुसार भारत का स्थान वर्ष 2018 में, 2017 की तुलना में, 100वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुँच गया है।

**8.** जहाँ एक ओर भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाईयाँ छू रही है, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज के कमज़ोर वर्ग पीछे न छूट जाएं। उनके विकास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों में "प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजना", "प्रधानमन्त्री आवास योजना", "सौभाग्य" योजना, "उज्जवला" योजना, "प्रधानमन्त्री रोज़गार सृजन योजना", "मुद्रा योजना", "जन–धन योजना", "प्रधानमन्त्री कषि सिंचाई योजना", "प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना–आयु मान भारत", "2022 तक किसानों की आय दोगुनी का कार्यक्रम", "स्वच्छ भारत मिशन" राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य Infrastructure के निर्माण में तीव्रता इत्यादि शामिल हैं। इन योजनाओं से प्रदेश की जनता भी लाभान्वित हुई है।

**9.** उपाध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पज़्टी की वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश का वित्तीय प्रबन्धन ठीक से न कर पाने के कारण हमारी सरकार को वित्तीय संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। खाली पड़े खजाने के कारण प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी कारण 2017–18 तथा इससे पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश की विकास दर, राष्ट्रीय विकास दर से कम रही। प्रदेश की धीमी होती आर्थिक विकास दर में गति लाने के लिये वर्तमान सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में भरसक प्रयास किए हैं। सरकार ने न केवल उपलब्ध संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन किया, बल्कि माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से भरपूर सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। हमारी सरकार के संसाधन संग्रहण से सम्बन्धित प्रयासों के कारण विकास कार्यों को गति मिली है तथा पिछली सरकार से विरासत में मिली संसाधनों की कमी को विकास प्रक्रिया में आड़े नहीं आने दिया गया है।

**10.** 2017–18 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 7.3 प्रतिशत अनुमानित है। 2018–19 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख, 51 हजार, 835 करोड़ रुपये रहेगा। यह 2017–18 की तुलना में 11.2 प्रतिशत अधिक है।

**11.** विकास की प्रक्रिया में निरन्तरता बनाये रखने के लिये नीति का समावेशी एवं सतत् होना आवश्यक है। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2015 को न्यूयॉर्क में सतत् विकास लक्ष्यों, यानि Sustainable Development Goals, के शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उनके द्वारा G–20 के विभिन्न सम्मेलनों में भी इस प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। राष्ट्रीय विकास एजैंडा इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने भी अपनी विकास नीति का निर्धारण सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप किया है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विज़न डाक्यूमेंट (Vision Document) शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

**12.** उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूर्ण करने की प्रतिबद्धता है, परन्तु हमारा विश्वास है कि हमारी सरकार 2022 तक अधिकाँश लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। प्रदेश के लिये गर्व की बात है कि 14 दिसम्बर, 2018 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG India Index – Base Line Report, 2018 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को Sustainable Development Goals (सतत् विकास लक्ष्यों) प्राप्त करने पर, देश भर में प्रथम स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में देश भर के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को 62 Indicators के आधार पर आँका गया था। हिमाचल प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन, मनरेगा के अन्तर्गत रोज़गार सृजन, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता, खुला ौच मुक्त गाँवों की प्रतिशतता, भू–जल प्रबन्धन, शहरी क्षेत्रों में मल–जल उपचार प्रबन्धन, विद्युतिकरण, वित्तीय समावेशन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन इत्यादि Indicators पर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य किया है।

**13.** यह बजट सभी सतत् विकास लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा से पहले प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। 2019–20 के बजट में पिछले वर्ष कीयोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और कुछ नई योजनाओं के साथ, प्रशासन में सुधार पर बल दिया गया है। इन प्रयासों से पूर्व घोषित योजनाओं में निरन्तरता रहेगी। प्रस्तुत बजट में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, महिला एवं बाल

स्वास्थ्य, शिक्षा में गुणवत्ता, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन, अधोसंरचना एवं उद्योग विकास तथा कानून व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगाः–

***सफर का एक सिलसिला बनाना है,***
***अब आसमान तलक रास्ता बनाना है।***

**14.** 2019–20 के लिये वार्षिक योजना का परिव्यय 7,100 करोड़ रुपये है, जो कि 2018–19 के योजना आकार (6,300 करोड़ रुपये) से लगभग 12.7 प्रतिशत अधिक है। यह 800 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हाल के कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। प्रस्तावित 7,100 करोड़ रुपये में से 1,788 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति योजना, 639 करोड़ रुपये जन–जातीय उप–योजना तथा 80 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिये प्रस्तावित हैं।

**15.** प्रदेश के विकास को गति देने हेतु विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इस दिशा में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects) की अहम् भूमिका रहेगी। विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय Funding Agencies के माध्यम से न केवल विभिन्न विकास कार्यों के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, बल्कि विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उन्नत तकनीक व प्रक्रियज्ञटों का भी लाभ प्रदेश को प्राप्त होता है। वर्तमान में वन, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि उद्यान इत्यादि क्षेत्रों में 7,729 करोड़ रुपये की लागत से 8 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार के विशेषप्रयासों व केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के सक्रिय सहयोग से लगभग 13 महीनों के छोटे से कार्यकाल में प्रदेश के लिये विभिन्न क्षेत्रों में, लगभग 10,330 करोड़ रुपये के Externally Aided Projects प्रायोजित किए गए, जिन्हें केन्द्र सरकार ने, मंजूरी उपरान्त, External Funding Agencies को वित्त पोषण हेतु अपनी संस्तुति भेज दी है। यह प्रदेश में किसी भी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में सबसे बेहतर रिकॉर्ड है।

**16.** उपाध्यक्ष महोदय, गत् एक वर्ष में विकास एवं जन कल्याण कार्यक्रमों को तीव्रता प्रदान की गई है। इनमें "जनमंच", "मुख्यमन्त्री पोर्टल", मुख्यमन्त्री कार्यालय में स्थापित "मॉनिटरिंग सैल" एवं "गुणवत्ता जाँच सैल", इत्यादि प्लेटफार्म सम्मिलित हैं। इन प्रयासों से प्रशासन एवं सेवा निर्वहन में सुधार हुआ है।

**17.** जनमंच कार्यक्रम से प्रदेश के विभिन्न दूर–दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले हिमाचल वासियों की समस्या के निवारण में बहुत मदद मिल रही है परन्तु जिला स्तर की विशेष समस्याओं का पूर्ण निवारण नहीं हो पाता है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि जनमंच की अगली कड़ी में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा किः–

***गरीबी से उठा हूँ, गरीबी जानता हूँ***
***आसमान से ज़्यादा, ज़मीं की कदर जानता हूँ।***

**18.** हाल ही में आयोजित माननीय विधायकों के साथ बैठकों में कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें एक मुख्य सुझाव था कि सरकारी कार्य–कलापों के प्रत्येक चरण के निष्पादन के लिये एक समय–सीमा तय हो। हिमाचल प्रदेश में Public Services Guarantee Act, 2011 में लागू किया गया था, जिसके अन्तर्गत 113 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह पता चल सके कि इस Act में सम्मिलित सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रदेश की जनता को मिल रही हैं या नहीं। हमने इस Act के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि आम नागरिक को कम से कम समय में, बिना सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए, जन सुविधाएं एवं सेवाएं प्राप्त हो सकें। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न सेवाओं के कार्यान्वयन में सभी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाए।

**19.** माननीय विधायकों से विधायक प्राथमिकतायोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार का भी सुझाव आया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायक प्राथमिकतायोजनाओं से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। माननीय विधायकों से विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिये नाबार्ड के अन्तर्गत धनराशि की सीमा, जो कि वर्तमान में 90 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, को बढ़ाने की माँग निरन्तर आती

रही है। इस माँग पर विचार करने के बाद मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2019–20 से इस सीमा को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा।

20. **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत वर्तमान में 1.25 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राशि को बढ़ाने हेतु भी माननीय विधायकों से माँग आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र करने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की भी घोषणा करता हूँ। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला मण्डलों के लिये 20,000 रुपये तक की राशि की अनुशंसा करने का प्रावधान है। मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। गत् एक वर्ष से माननीय विधायकों द्वारा निरन्तर माँग आती रही है कि इसी तरह का प्रावधान युवक मण्डलों के लिये भी किया जाए। मुझे यह घोषणा करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019–20 से माननीय विधायक, इस योजना के तहत पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण प्रति युवक मण्डल के क्रय के लिये संस्तुति कर पाएंगे।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा किः–

*छू न सकूँ आसमां, तो न सही,*
*आपके दिलों को छू जाऊं, बस इतनी सी तमन्ना है।*

21. उपाध्यक्ष महोदय, देश में आपातकाल के दौरान MISA के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियां देश के इतिहास में एक काला अध्याय है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के भी कई व्यक्तियों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया तथा जेलों में भेजकर प्रताड़ित किया गया। ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति दिल की गहराईयों से सम्मान व्यक्त करते हुए, मैं घोषणा करता हूँ कि इन सभी को 11,000 रुपये वार्षिक "लोकतन्त्र प्रहरी" सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

22. हमारी सरकार ।Tको सरकारी कामकाज के निष्पादन में बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। **'ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल'** के माध्यम से अभी तक 52 G2C (Goverment to Citizen) सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 2019–20 में विभिन्न विभागों की 136 अतिरिक्त G2C सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर ई–डिस्ट्रक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

**23.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि एक अत्याधुनिक, "लोक सुरक्षा केन्द्र" के नाम से राज्य स्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस पहल से प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा, एक ही स्थान पर, आपातकाल की स्थिति में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह सेंटर CCTV कैमरों के माध्यम से वाहनों की निगरानी करने, भीड़ प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन,आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने व उन्हें नियंत्रित करने, आपदा प्रबंधन आदि के काम आएगा।

**24.** हमारी सरकार प्रदेश की जनता की समस्यज्ञटों व शिकायत निवारण के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये मैं प्रदेश में 'मुख्यमन्त्री हेल्पलाईन' की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। इसके तहत प्रदेश का कोई भी व्यक्ति फोन पर अपनी शिकायत दर्ज़ करवा पाएगा। शिकायत दर्ज़ होते ही सम्बन्धित अधिकारी को समाधान के लिये भेज दी जाएगी। यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उसके उच्च अधिकारी को यह समाधान के लिये भेजी जाएगी। सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निवारण करना होगा। मैं व मेरे साथी मन्त्री भी हर महीने फोन के द्वारा कुछ व्यक्तियों से उनकी शिकायत के निवारण के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है कि इस हैल्पलाईन से शिकायत निवारण में जबावदेही सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार को आम नागरिक के करीब लाने के लिये MyGov पोर्टल शुरु किया जाएगा। इस पहल से नीति निर्धारण में नागरिकों एवं विशेषज्ञों की भागीदारी संभव होगी।

**25.** सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने, तथा अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से, काँगड़ा में Software Technology Park of India (STPI) के माध्यम से IT पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ लगती भूमि में प्ज पार्क सम्बन्धित अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही सोलन जिला के वाकनाघाट में भी IT पार्क, जो बहुत समय से लम्बित पड़ा है, के लिये निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा।

**26.** उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय "उज्जवला" योजना के अन्तर्गत लगभग 86,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है। 2018–19 में प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना", उज्जवला योजना से छूटे हुए परिवारों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आरम्भ की है। इसमें लाभार्थियों के गैस चूल्हे, सिलेंडर, रैगुलेटर, पाईप एवं सुरक्षा राशि पर लगभग 3,500 रुपये का व्यय राज्य सरकार वहन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 49,000 परिवार लाभान्वित किए जा चुके हैं। जनमंच के आयोजनों में इस बारे में मिली प्रतिक्रिया इस

योजना की लोकप्रियता की सूचक है। यह योजना हिमाचल की मातज्ञटों एवं बहनों में बहुत लोकप्रिय हुई है। इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन से प्रदेश की माताओं एवं बहनों को चूल्हों के धुएं तथा अन्य सम्बन्धित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह योजना महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि किसी कारणवश किसी परिवार में कोई महिला सदस्य न हो, तो भी वे परिवार इस योजना के अन्तर्गत, अन्य शर्तों को पूरा करने की स्थिति में, लाभ पाने के पात्र होंगे। 2019–20 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल के सभी बचे पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। हिमाचल इस तरह देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके सभी परिवारों के पास गैस चूल्हा होगा।

**27.** मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना के नये लाभार्थियों को भी गैस चूल्हा, सिलेंडर तथा पाईप राज्य संसाधनों से उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। मैं सहर्ष यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त के अतिरिक्त "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" और केन्द्रीय "उज्जवला" योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी मुफ्त दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग दो लाख परिवारों को लाभ होगा। इस योजना के लिये 2019–20 में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगाः–

***चिरागों के अपने घर नहीं होते,***
***जहाँ जलते हैं, वहीं रोशनी बिखेर देते हैं।***

**28.** हमारी सरकार द्वारा राशन में दी जा रही दालों, खाद्य तेल, नमक आदि की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन खाद्यान्नों के क्रय में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा लाई गई है। 2019–20 में इन पर दिये जा रहे उपदान पर 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का प्रयास रहेगा कि खाद्य वस्तुओं पर मिल रहा उपदान समाज के उस वर्ग को मिले जिन्हें इस उपदान की सख्त जरूरत है। मैं प्रदेश के ऐसे सभी राशनकार्ड धारकों, जो खुले बाजार से खाद्यान्न क्रय करने में समर्थ हैं, से पुनः अपील करता हूँ कि वे इस उपदान का स्वेच्छा से त्याग करने के लिये आगे आएं।

**29.** उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा 2019–20 के बजट में छोटे एवं सीमान्त किसानों (जिनकी भूमि दो हैक्टेयर से कम है) के हित में एक ऐतिहासिक "प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि" की घोषणा की गई है जिसके तहत उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष निश्चित आय का प्रावधान है। हमारे प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत किसान छोटे व सीमान्त किसान की परिभाषा में आते हैं। अतः हिमाचल के किसानों को इस योजना का विशेष लाभ होगा। हमारी सरकार इस योजना को लागू करने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाएगी।

**30.** हिमाचल के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिये हमारी सरकार दृढ़संकल्प है। इस दिशा में 2018–19 में **"प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान"** योजना प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये आरम्भ की गई थी। इस योजना को 2019–20 में भी जारी रखा जाएगा तथा इसके लिये पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा।

**31.** फसलों की निरन्तर रखवाली और बन्दरों की नसबन्दी के बावजूद भी शत–प्रतिशत फसलों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। इस समस्या से निदान के लिये **"मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना"** के तहत किसानों को Solar Fencing लगाने के लिये उपदान जारी रहेगा। इस योजना में किसानों की माँग तथा सुझावों को देखते हुए, मैं, काँटेदार तार अथवा चेन लिंक बाड़ लगाने के लिये भी 50 प्रतिशत उपदान की घोषणा करता हूँ।

**32.** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि हमारी सरकार 4,751 करोड़ रुपये की लागत से **"Doubling of Farmer's Income through Water Conservation and Other Activities"** परियोजना लागू करेगी। इस परियोजना के पहले चरण के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार ने 708 करोड़ रुपये की संस्तुति एशियन विकास बैंक को भेज दी है। बैंक के सहयोग से इसका कार्य शीघ्रशुरु किया जाएगा।

**33.** चूँकि प्रदेश की अधिकाँश खेती वर्षा पर निर्भर है, इसलिये पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता से ही कृषकों को बल मिलेगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2019–20 में **'नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना'** को पूरा कर दिया जाएगा। इससे 2,980 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त **'फिना सिंह सिंचाई परियोजना'** के शेष कार्य को भी गति प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर 4,025 हैक्टेयर अतिरिक्त

भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 2019–20 में इन दोनों परियोजनाओं के लिये 84 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

**34.** **"प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना"** के अन्तर्गत 338 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 111 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी किए जाने का प्रस्ताव है। इनके पूरा होने के पश्चात् लगभग 17,880 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, 41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3 लघु सिंचाई योजनाएं क्रमशः बिन्गा व सन्धोल, जिला मण्डी तथा लाबरंग गार्डन कॉलोनी, पूह, जिला किन्नौर का कार्य भी शुरु किया गया है, जिनके पूरा होने पर 1,685 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

**35.** कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु जल संरक्षण एवं आश्वस्त सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। 2018–19 में "**जल से कृषि को बल"** परियोजना शुरु की गई थी। इस योजना की किसानों की आय बढ़ौतरी में उपयोगिता को देखते हुए 2019–20 में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण के लिये 4,070 करोड़ रुपये का Concept Note तैयार किया गया है। इसे शीघ्र ही बाह्य सहायता हेतु प्रेषित किया जाएगा। स्वीकृति पश्चात् इस परियोजना के अन्तर्गत 534 पुरानी और नई योजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

**36.** इसी कड़ी में 2018–19 में आरम्भ की गई **"सौर सिंचाई योजना"** पर 2019–20 में 30 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना से सिंचाई हेतु पानी उठाने के लिये सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा तथा किसानों के खर्चों में कमी आएगी।

**37.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष कृषकों को सिंचाई के लिये बिजली की दर को 1 रुपया प्रति यूनिट से घ्ज्ञटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट किया था। मैं **सहर्ष घोषणा** करता हूँ कि सिंचाई के लिये बिजली की यह दर 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी। इससे कृषि लागत में कमी होगी और प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे।

मैं प्रदेश के समस्त किसान भाईयों से कहना चाहूँगा किः–

**सारे इत्र की खुशबू, आज मंद पड़ गई,**
**मिट्टी पर पानी की बूँदें, जो चंद पड़ गईं।**

**38.** विभिन्न सिंचाई परियोजाओं के लिये 2019–20 में 1,260 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया जाता है।

**39.** बाढ़ के पानी से होने वाले भूमि कटाव की रोकथाम के लिये बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में स्वाँ नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना चरण–4 के अन्तर्गत जिला ऊना में दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक मुख्य स्वाँ नदी एवं इसकी 55 सहायक खड्डों के तटीकरण हेतु 923 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। मैं सहर्ष सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 107 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसी प्रकार से छौंच खड्ड के लिये 22 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2019–20 के दौरान स्वाँ नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना तथा छौंच खड्ड तटीकरण परियोजना को और गति दी जाएगी।

**40.** हमारी सरकार ने किसानों तथा अन्य बाढ़ प्रभावितों की समस्या को देखते हुए **"हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजना"** Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) के सहयोग से वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित करवाई है। भारत सरकार द्वारा पहले चरण में 1,288 करोड़ रुपये, तथा दूसरे चरण में 2,062 करोड़ रुपये की संस्तुति की गई है। प्रदेश सरकार AIIB के माध्यम से इस योजना को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये प्रयासरत है।

**41.** उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि की लागत को कम करने तथा कृषकों एवं उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये भी कुछ विवरण देना चाहूँगा। **"राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम"** के तहत छोटे एवं मध्यम कृषकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के लाभार्थियों को ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, वीडर, घास/फसल कज्ञटने की मशीनें 50 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के इच्छुक युवा व बेरोज़गार कृषक समूह व सहकारी सभाएं अपने क्षेत्र में कृषि उपकरण सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में 40 प्रतिशत उपदान के पात्र हैं, ताकि जो भी किसान अपनी मशीनरी नहीं खरीद सकते, वह इन केन्द्रों से कृषि कार्य हेतु किराये पर उपकरण प्राप्त कर सकें। इस योजना के लिये 2019–20 में 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

**42.** **"प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना"** तथा **"नवीनीकृत मौसम आधारित फसल बीमा योजना"** को खरीफ–2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है। आगामी खरीफ–2019 मौसम के दौरान नई फसलें, जैसे जिला लाहौल स्पिति में फूलगोभी तथा ऊना जिला में आलू, को नवीनीकृत मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं **"मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना"** के अन्तर्गत मिलने वाली बीमा राशि को, मृत्यु की स्थिति में, वर्तमान 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये, तथा अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

**43.** नगदी फसलों, जैसे कि सब्जियां, के उत्पादन में वृद्धि के लिये संरक्षित खेती महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही **"दीन दयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना"** अपने कार्यान्वयन काल के अन्तिम वर्ष में पहुँच गई है। अतः इस योजना के निरन्तरीकरण में, मैं 150 करोड़ रुपये की लागत से नई **"मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस परियोजना"** शुरु करने का प्रस्ताव करता हूँ। परियोजना अवधि में लगभग 5,000 पॉली हाऊस स्थापित किए जाएंगे तथा किसानों को 85 प्रतिशत उपदान सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाली माँग की आपूर्ति पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाएगी। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से 4 वर्ष की अवधि (2019–20 से 2022–23) तक चलाई जाएगी। इससे लगभग 20,000 लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

**44.** वित्तीय वर्ष 2018–19 में पाँच जिलों में 30 हैक्टेयर क्षेत्र में भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से कॉफी के पौधों को प्रयोग के आधार पर वितरित किया गया था। इन पौधों पर अब फल आने शुरु हो गए हैं। मैं इस योजना को 2019–20 के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव रखता हूँ। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो पाँच जिलों – काँगड़ा, मण्डी, ऊना, बिलासपुर तथा हमीरपुर, के किसान भाईयों को काफी फायदा होगा।

**45.** किसान को उसकी फसल का सही–सही दाम दिलाने के लिये विपणन का भी महत्व है। 59 सब्जी मण्डियों में से 19 को पहले ही E-NAM (Electronic-National Agriculture Market) के साथ जोड़ा जा चुका है। मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 में 10 और मण्डियों को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त लगभग 15 E-NAM मण्डियों में मूल्यसंवर्धन श्रृंखला स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। 6 नए मार्किट सब–यार्ड भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

**46.** उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी का विशेषस्थान है तथा प्रदेश बागवानी में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमारी सरकार द्वारा 423 करोड़ रुपये की **"एकीकृत खुम्ब विकास परियोजना"** को, केन्द्र सरकार की सहायता से, Externally Aided Project के अन्तर्गत शुरु किया जाएगा। मैं **सहर्ष घोषणा** करता हूँ कि किसानों की खुम्ब उत्पादन में बढ़ती रुचि को देखते हुए, 2019–20 में नई **"मुख्यमन्त्री खुम्ब विकास योजना"** शुरु की जाएगी।

**47.** 2018–19 में सुरक्षित बागवानी हेतु उपदान पर दिये जाने वाले हेल नेटस की बढ़ती लोकप्रियता एवं माँग को देखते हुए 2019–20 में इस योजना के बजट में 100 प्रतिशत वृद्धि करके 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि अतिरिक्त माँग हुई तो उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

**48.** बागवानी में दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। 2019–20 में 1,134 करोड़ रुपये की **"हि0 प्र0 बागवानी विकास परियोजना"** के अन्तर्गत 5,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जाएगा। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में Sub Tropical फलों की उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा देने हेतु भी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में 1,688 करोड़ रुपये की **"Himachal Pradesh Sub Tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition (SHIVA)"** परियोजना तैयार करके, बाह्य सहायता हेतु, भारत सरकार की संस्तुति पश्चात् एशियन विकास बैंक को प्रेषित की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य Sub Tropical फसलों के अन्तर्गत 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाना है।

**49.** उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कृषि व बागवानी विभागों द्वारा बीज व फलदार पौधों को प्रदेश के बाहर से भी मँगवाया जाता है। हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रदेश के बागवानों व किसानों को, उचित प्रशिक्षण देकर, अच्छे बीज व गुणवत्ता वाले फलदार पौधों का उत्पादन, प्रदेश के किसानों द्वारा प्रदेश में ही किया जाए, जिससे उन्हें स्वरोज़गार भी मिल सके।

**50.** वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्तावों में पुष्प उत्पादकों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में फूलों के परिवहन के लिये माल भाड़े के शुल्क को 20 प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई थी। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि पुष्प उत्पादकों को माल भाड़े में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

**51.** बागवानी क्षेत्र पर 2019–20 बजट अनुमानों में 474 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**52.** उपाध्यक्ष महोदय, कृषि में पशुपालन एवं डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों का काफी महत्व है। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल जाता है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ पशुपालन एवं डेयरी के लिये अनुकूल हैं। किसानों की आय को बढ़ाने की दृष्टि से 2019–20 के बजट में निम्न प्रस्ताव करता हूँः–

**53. "राष्ट्रीय गोकुल मिशन"** के अन्तर्गत प्रदेश में साहीवाल व रेडसिंधी नस्ल की गायों के संरक्षण व प्रसार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक (Embryo Transfer Technology) आरम्भ की जाएगी। इस पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भारतीय नस्लों के पशुधन के संरक्षण व प्रसार हेतु प्रदेश में 11 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म भी स्थापित किया जाएगा।

**54.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिये देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिये 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा, प्रति गाय, 25,000 रुपये होगी। इससे न केवल छोटे एवं गरीब किसानों के पशुधन में वृद्धि होगी, अपितु प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।

**55.** गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे किसानों को यह बकरियां 60 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस योजना पर 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिला चम्बा, काँगड़ा, मण्डी, शिमला, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और सोलन की 6 लाख भेड़–बकरियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। 2019–20 के दौरान लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से **"राष्ट्रीय पशुधन मिशन"** योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात भी प्रस्तावित है। इससे भेड़ों में inbreeding की समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी तथा ऊन उत्पादकता में वृद्धि होगी।

**56.** मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुर्रा नस्ल की भैंसों की उपलब्धता प्रदेश में ही सुनिश्चित करने के लिये **"राष्ट्रीय गोकुल मिशन"** के अन्तर्गत, 11 करोड़ रुपये की लागत से, मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा। इसी योजना के अन्तर्गत 34 करोड़ रुपये की लागत से एक गोकुल गाँव भी प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।

**57.** डेयरी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जिला मण्डी के चक्कर में भी 50,000 लीटर क्षमता का नया दुग्ध विधायन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिये सभी डेयरी सहकारी समितियों को चरणबद्ध तरीके से स्वचालित दूध संग्रह इकाई (AMCU) प्रदान की जाएगी। मैं प्रथम चरण में, 40 नई स्वचालित दूध संग्रह ईकाईयां (AMCU) तथा मिल्क एनालाइज़र सहकारी समितियों को प्रदान करने की भी घोषणा करता हूँ।

**58.** मैं दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हित में दूध खरीद मूल्य को 2019–20 में 2 रुपये प्रतिलीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। मिल्कफैड को 2019–20 में 21 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।

**59.** उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मच्छली उत्पादन से मछुआरों की आय बढ़ाने की आपार संभावनाएं हैं। 2019–20 में 100 ट्राउट ईकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कार्प मच्छली उत्पादन के लिये लगभग 10 हैक्टेयर में नए तालाबों का निर्माण भी किया जाएगा। 2019–20 में मत्स्य क्षेत्र में सभीयोजनाओं के कार्यान्वयन से लगभग 550 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा।

**60.** ट्राउट उत्पादन के विस्तार के साथ ही मछुआरों को ट्राउट सीड की भी आवश्यकता होती है। मैं सरकार तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से दो ट्राउट हैचरीज़ स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से कुल्लू में स्मोक्ड ट्राउट एवं फिले कैनिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। मछुआरों को बाजार में सही मूल्य दिलवाने के लिये काँगड़ा, चम्बा और शिमला जिलों में, निजी क्षेत्र की भागीदारी से, मत्स्य खुदरा विक्रय केन्द्रों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

**61.** गत् कुछ वर्षों में प्रदेश के ट्राउट मत्स्य पालकों को बारिश तथा आकस्मिक बाढ़ के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि इन मत्स्य पालकों की ईकाईयों को बीमाकृत करने के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में उचित योजना तैयार की जाएगी।

**62.** उपाध्यक्ष महोदय, **"राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान"** के अन्तर्गत सिरमौर तथा किन्नौर जिलों में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से जिला संसाधन केन्द्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं। 2019–20 के

दौरान 6,000 ग्राम सभा सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को पंचायती राज सम्बन्धित गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

**63.** पाँचवें राज्य वित्तायोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थझटों के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में 194 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसे 2019–20 में बढ़ाकर 210 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान जिला परि ादों तथा पंचायत समितियों के लिये भी 45 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ। 14वें केन्द्रीय वित्तायोग की सिफारिशों के आधार पर इन संस्थझटों के लिये वर्ष 2018–19 के दौरान 407 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2019–20 के दौरान बढ़ाकर 548 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

**64.** उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के प्रतिनिधियों की प्रदेश की विकास प्रक्रिया के निष्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास कार्यों में इन चुने हुए प्रतिनिधियों की बढ़ती हुई भूमिका के दृष्टिगत् मैं सभी पंचायती राज संस्थझटों के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने आए ग्राम पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता बढ़ाकर 250 रुपये किया जाएगा। ग्राम पंचायत के उप–प्रधान का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा प्रधान का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया जाएगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्यों के मानदेय को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये, उपाध्यक्ष के मानदेय को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तथा उपाध्यक्ष के मानदेय को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा। जिला परिषद् सदस्यों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा जिला परिषद् उपाध्यक्ष के मानदेय को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। मैं पंचायत चौकीदारों के वर्तमान मासिक मानदेय को भी 4,150 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने की भी सहर्ष घोषणा करता हूँ।

**65.** विभिन्न कौशल विकासयोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, परन्तु अभी भी कुछ परम्परागत शिल्पी तथा कारीगर किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आते। इस कमी को पूरा करने के लिये मैं सहर्ष नई **"मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ, जो कि ग्रामीण जनता के लिये आजीविका के अवसर उत्पन्न करेगी तथा परम्परागत शिल्प कला को जीवित रखने में सहायक सिद्ध होगी।

**66.** 2018–19 के बजट में हमारी सरकार ने **"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना"** (मनरेगा) में अर्जित कार्य दिवसों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़ाकर 120 दिन करने की घोषणा की थी। यह व्यवस्था 2019–20 में भी जारी रखी जाएगी।

**67.** उपाध्यक्ष महोदय, गत् वर्ष मैंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से एक–एक लोक भवन बनाने की योजना घोषित की थी। मुझे बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि दिसम्बर, 2018 तक सरकार द्वारा चयनित स्थलों पर 41 लोक भवनों के निर्माण के लिये प्रथम किश्त जारी की जा चुकी थी। 2019–20 में भी इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, यदि माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में, अतिरिक्त लोकभवन का निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसके लिये उपयुक्त स्थान का चयन माननीय विधायक द्वारा किया जाएगा। इस अतिरिक्त लोकभवन के निर्माण के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत अँशदान सम्बन्धित माननीय विधायक को विधायक क्षेत्र विकास निधि में से देना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अँशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।

**68.** प्रदेश में विभिन्न आवास निर्माणयोजनाओं के अन्तर्गत 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ, कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से, ऐसी सभीयोजनाओं में 20 हजार रुपये प्रति ईकाई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार से इनयोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल वित्तीय सहायता 1.50 लाख हो जाएगी। **"मुख्यमन्त्री आवास योजना"** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की मुरम्मत हेतु 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। मैं इस सहायता की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा किः–

**मंज़िल मिलेगी, देर से ही सही,**
**गुमराह तो वो है, जो घर से निकला ही नहीं।**

**69.** उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न समुदायों को वन प्रबन्धन एवं संरक्षण सम्बन्धित कार्यों के प्रति जागरूक करने, तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, हमारी सरकार ने 2018–19 में **"सामुदायिक वन संवर्धन योजना"** और **"विद्यार्थी वन मित्र योजना"** आरम्भ की थी। 2019–20 में

भी इन दोनोंयोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव है। सामुदायिक वन संवर्धन योजना के अन्तर्गत 350 हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व भूमि और जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे। विद्यार्थी वन मित्र योजना के अन्तर्गत 150 स्कूलों को चयनित कर उनके नजदीक अधिसूचित वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।

**70.** एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हरे–भरे वनों, स्वच्छ पर्यावरण व सुरक्षित बेटियों के साथ ही की जा सकती है। अतः मैं प्रदेश में समाज को बेटियों व वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिये एक नई योजना **"एक बूटा, बेटी के नाम"** लागू करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

**71.** प्रदेश में लगभग दो लाख हैक्टेयर भूमि लैंटाना से प्रभावित है। लैंटाना वन संपदा एवं कृषि को भारी क्षति पहुँचाती है। आगामी वर्ष में 4,000 हैक्टेयर लैंटाना ग्रसित भूमि से लैंटाना का उन्मूलन करके इस क्षेत्र में स्थानीय वन प्रजातियों के पौधे लगाये जाएंगे।

**72.** प्रत्येक वर्ष, वनों में आग लगने से वन संपदा तथा उसके साथ लगती आबादी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस आपदा की रोकथाम हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण की सैटेलाईट आधारित अलर्ट SMS सेवा के माध्यम से व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। इस सेवा के माध्यम से लोगों को, रैपिड फॉरेस्ट फायर फाईटिंग फोर्स से जोड़ा जाएगा, ताकि वनों में आग लगने पर सूचना इस सेवा के माध्यम से तुरन्त दी जा सके तथा कम से कम समय में आग को बुझाया जा सके। इसी कड़ी में, चीड़ के जंगलों में आग से बचाव हेतु 2018–19 के बजट में चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योगों को 50 प्रतिशत निवेश उपदान की घोषणा की गई थी। 2019–20 में चीड़ की पत्तियों पर आधारित 25 लघु उद्योगों को उपदान देकर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे चीड़ के जंगलों को न केवल आग से बचाया जा सकेगा, अपितु स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे।

**73.** वन कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने तथा उनकी सुरक्षा हेतु मैं घोषणा करता हूँ कि 200 अति संवेदनशील बीटों में तैनात वन कर्मियों को 15,000 रुपये तक का अनुदान देकर निजी हथियार उपलब्ध करवाये जाएंगे।

**74.** सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद हमारी सरकार ने तीन वन परिक्षेत्रों में सिल्विकल्चर के अनुरूप वन संपदा का दोहन, प्रयोग के तौर पर आरम्भ किया है। 2019–20 में 1,730 हैक्टेयर क्षेत्र में सिल्विकल्चर के सिद्धांतों के अनुरूप वन संपदा का दोहन किया जाएगा। इससे वनों की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। इन तीन क्षेत्रों में वन दोहन की सफलता के आधार पर अन्य वन क्षेत्रों के दोहन की अनुमति निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग बिरोज़ा व टिम्बर के दोहन के लिये 2019–20 में विस्तृत अध्ययन करके, एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बिरोज़ा निकालने, वृक्षों के कटान, चरान, ढुलान तथा विक्रय होने तक की प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाई जाएगी।

**75.** वन, प्रकृति में जल की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन विभाग द्वारा 3 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनज्ञटों क्रमशः Himachal Pradesh Forest Eco-System Management and Livelihood Improvement Project, Integrated Development Project for Source Sustainability and Climate Resilient Rainfed Agriculture तथा Himachal Pradesh Eco System Climate Proofing Project को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। इन परियोजनज्ञटों के उद्देश्यों में वन आवरण सुधार, वनों पर आधारित लोगों को अतिरिक्त आजीविका के साधनों की उपलब्धता, वन भूमि में विद्यमान प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं जल संग्रहण, वन क्षेत्रों से निकलने वाले जल स्रोतों का विकास, पौधारोपण, लैंटाना उन्मूलन एवं वन सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। इन परियोजनज्ञटों के कार्यान्वयन पर 2019–20 में 121 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**76.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं **सहर्ष घोषणा** करता हूँ कि स्वरोज़गार एवं आजीविका सुरक्षा के लिये **एक नई योजना** चMukhya Mantri Green Technology Transfer Scheme शुरु की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत किसान उत्पादन संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को Green Technology Transfer कर हरित उद्योग स्थापित करने हेतु उचित अनुदान का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है।

**77.** सतलुज घज्ञटी के अन्तर्गत आने वाले किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मण्डी, ऊना तथा बिलासपुर जिलों की विभिन्न पंचायतों में, माइक्रो वज्ञटरशैड स्तर पर, जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता मूल्याँकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैव विविधता के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में

आजीविका के अतिरिक्त साधनों की उपलब्धता तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन के लिये सशक्त तंत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार को **एक नई 250 करोड़ रुपये की लागत वाली** "Securing Rural Livelihoods through Bio-Diversity Conservation, Landscape Management and Skill Development" परियोजना बाह्य सहायता के लिये स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

**78.** उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 2019–20 में ऊना और चम्बा जिलों में **"एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना"** आरम्भ की जानी प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थानों की व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये बागवानी, कृषि डेयरी, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और पैकिंग, पर्यटन, साहसिक खेल आदि क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा।

**79.** सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण के लिये 250 ऑडिटर्ज़ को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पात्र युवाओं को स्वरोज़गार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। परिणामस्वरूप न केवल सहकारी समितियों के काम–काज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि वैधानिक ऑडिट नियमित रूप से सुनिश्चित हो सकेगा।

**80.** उपाध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकायों में कूड़े कचरे का प्रबन्धन एक चुनौती बन चुका है। इसके लिये शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण किया जाएगा। इन शहरी निकायों को ठोस कूड़ा संयंत्र के निर्माण एवं प्रबन्धन, पुराने पड़े हुए Waste की Bio-Mining तथा आधुनिक तकनीक के प्रयोग इत्यादि के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

**81.** उपाध्यक्ष महोदय, शिमला तथा धर्मशाला स्मज़र्ट सिटी परियोजनज़टों के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ है। इन लम्बित परियोजनज़टों के कार्यान्वयन में 2019–20 में गति प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य से इन दोनों शहरों में विभिन्न विकास कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया को शीघ्र अन्तिम रूप देकर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

**82.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण से सम्बन्धित सभी समस्यज़टों के प्रति सजग है। मैं माननीय सदन से साँझा करना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में शहरी निकायों से सम्बन्धित नीति एवं विभिन्न मानदण्डों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा और अधिक

शहरी क्षेत्रों को नगर निगम की परिभाषा में सम्मिलित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाएगा।

**83.** वर्तमान वित्तीय वर्ष में, स्थानीय शहरी निकायों को राज्य वित्तायोग एवं केन्द्रीय वित्तायोग की सिफारिशों के आधार पर 169 करोड़ रुपये अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस राशि को बढ़ाकर 197 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस अनुदान की सहायता से ये निकायें अपने–अपने क्षेत्र में अधोसंरचना एवं अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। समय के साथ इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु धनराशि की भी आवश्यकता रहती है। इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं मुरम्मत के उद्देश्य से राज्य सरकार 2019–20 में 12 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी।

**84.** शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के विविध एवं बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत् नगर पंचायत सदस्यों का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, उपाध्यक्ष का 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तथा उपाध्यक्ष का 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। नगर परिषद् के सदस्यों का मानदेय 2,200 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, उपाध्यक्ष का 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये तथा उपाध्यक्ष का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसी प्रकार शिमला व धर्मशाला के नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये, उप–महापौर का 8,000 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये तथा महापौर का मानदेय 11,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह करने की भी सहर्ष घोषणा करता हूँ।

**85.** सुनियोजित नगर एवं ग्राम नियोजन के उद्देश्य से पांवटा साहिब के रामपुर घाट में लैंड पूलिंग के लिये योजना को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा और इसके सफल कार्यान्वयन के पश्चात् प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

**86.** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा राजस्व से सम्बन्धित दी जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं के सरलीकरण तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन के दृष्टिगत् प्रदेश में **"डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम"** आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 जिलों की मुसाबियों को उनकी जमाबन्दियों से लिंक करके डिजिटाईज़ किया जा चुका है। आगामी

वित्तीय वर्ष के दौरान शेष 7 जिलों में मुसाबियों को डिजिटाईज़ करके जमाबन्दियों से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे कि सम्बन्धित भू–अभिलेख ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगा।

**87.** बन्दोबस्त महकमें में रिकॉर्ड तैयार करने का काम Global Positioning System rFkk Electronic Total Station प्रणाली द्वारा सिरमौर तथा सोलन जिलों की तीन तहसीलों में किया जा रहा है। इस तकनीक के अपनाने से आई सटीकता तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत् 2019–20 से इस तकनीक को अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा।

**88.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि राजस्व चौकीदारों, जिन्हें अभी 3,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, के मानदेय को 3,500 रुपये कर दिया जाएगा।

**89.** आपदा प्रबन्धन हेतु 2019–20 में 287 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आपातकाल के दौरान आपातकालीन संचार नेटवर्क प्रदान करने और राज्य में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिये राज्य और जिला आपातकालीन केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) की एक बटालियन गठित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये मैं माननीय सदन एवं प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही, आपातकालीन आपदज्ञटों से निपटने व आपदज्ञटों की प्रतिक्रिया क्षमता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में, राज्य आपदा राहत बल (NDRF) के गठन का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहूँगा कि लगभग 2,420 करोड़ रुपये की (**Disaster Risk Reduction and Preparedness Project in Himachal Pradesh**) नामक परियोजना को भारत सरकार को बाह्य सहायता द्वारा वित्तीय पोषण के लिये प्रेषित किया गया है।

**90.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आम लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में 2019–20 में 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। आँशिक रूप से कवर बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 3,267 करोड़ रुपये की एक महत्वकाँक्षी परियोजना भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण में न्यू विकास बैंक के माध्यम से 700 करोड़ रुपये के वित्तीय पोषण की संस्तुति की है। इससे 943 गाँवों की 2,427 ग्रामीण बस्तियां लाभान्वित होंगी। इसी परियोजना के अन्तर्गत शेष बची बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने

के लिये दूसरे चरण में 49 विधानसभा क्षेत्रों की 61 पेयजलयोजनाओं के लिये 2,567 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है।

**91.** सरकार द्वारा 1–1–2000 से पूर्व की पुरानी ग्रामीण पेयजलयोजनाओं के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण के लिये भी एक महत्वकाँक्षी परियोजना तैयार की गई है। 562 ग्रामीण जल आपूर्तियोजनाओं के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण की 798 करोड़ रुपये की परियोजना को भारत सरकार ने संस्तुति प्रदान की है। इस योजना को एशियन विकास बैंक के सहयोग से शुरु किया जाएगा। इस परियोजना से 7,217 ग्रामीण बस्तियों के 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

**92.** जनमंच कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पेयजल कनेक्शन लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। गृहणियों को प्रतिदिन बाहर से पानी लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है तथा समय भी नष्ट होता है। अतः मैं सहर्ष एक नई **"मुख्यमन्त्री स्वजल योजना"** शुरु करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये 50 मीटर तक पाईप, सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर, उपलब्ध करवाई जाएगी, गांव में लोग अभी भी चौराहे पर लगे नल से ही पानी भरते हैं। इसलिए हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो यह बड़े स्तर पर मांग आती है कि अब पानी का नल रसोई और बाथरूम के अंदर होना चाहिए। पानी का नल उनकी रसोई और बाथरूम तक पहुंचेए इसके दृष्टिगत इस योजना में कुछ उनका सहयोग होगा और कुछ सरकार की ओर से सहयोग होगा ताकि वे भी घर के भीतर ही नल का लाभ उठा सकें तथा माताओं और बहनों का पानी भरने में व्यतीत होने वाला समय व मेहनत भी बच पाए।

**93.** मैं सिंचाई एवम् जन–स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वाटर गार्डज़ के मानदेय को वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2,100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। पैरा–फिटर्ज़ एवं पम्प ऑपरेटर्ज़ के वर्तमान मासिक मानदेय को भी 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के ध्यान में आया है कि पेयजल योजनाओं के लिये आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण इनके रख–रखाव में कठिनाईयां आ रही हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए यह हर्ष हो रहा है कि सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग में आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि पेयजल योजनाओं का प्रबन्धन सुचारू रूप से किया जा सके।

**94** 2019–20 में पेयजल प्रबन्धन के लिये 1,948 करोड़ रुपये बजट राशि प्रस्तावित है।

**95.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता देती है और हमारा प्रयास है कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित हों। हमारी सरकार निवेशकों की अपेक्षा अनुसार एक नई **सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति** लेकर आएगी जिसका केन्द्र बिन्दु महिला उद्यमी, हिमाचली युवा व सेवा आधारित उद्योग होंगे। सरकार मध्यम व बड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगी, बशर्ते वे 300 से अधिक हिमाचली लोगों को रोज़गार प्रदान करे। हम काँगड़ा जिला के चन्नौर, बिलासपुर जिला के गेहड़वीं तथा ऊना जिला के बसौली बनगढ़ में नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करेंगे।

96. मुझे आप सबसे यह साँझा करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि Food Processing मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा, औद्योगिक क्षेत्रों–जिला ऊना के पण्डोगा, जिला काँगड़ा के कन्दरौरी एवं जिला सोलन के अडूवाल को नामित फूड पार्क की स्वीकृत सूची में शामिल किया गया है। अब इन फूड पार्कों में लगने वाली खाद्य/एग्रो प्रोसैसिंग इकाईयां भारत सरकार के माध्यम से रियायती ऋण लेने के लिये पात्र होंगी। इन फूड पार्कों में लगने वाली फूड प्रोसैसिंग औद्योगिक इकाईयां केन्द्रीय **"किसान सम्पदा योजना"** के तहत विस्तार निवेश पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिये भी पात्र होंगी।

**97.** हमारी सरकार **'व्यापार में सुगमता'** (Ease of Doing Business) को उच्च प्राथमिकता देती है। सभी विभागों द्वारा विभिन्न नियम/कानूनों व लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत तय समय सीमा में ऑनलाईन स्वीकृतियों पर बल दिया जा रहा है ताकि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में कोई बाधा न आए।

**98.** राज्य में सतत् औद्योगिक विकास को गति देने के लिये वर्ष 2019 में धर्मशाला में **'ग्लोबल इन्वेसटर्ज़ समिट'** आयोजित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन प्रदेश के युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर लाएगा और हिमाचल को सर्वप्रिय निवेश स्थली के रूप में स्थापित करेगा।

डपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मैं कहना चाहूँगा किः–

**जो मंज़िलों को पाने की चाहत रखते हैं,**
**वो समन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं।**

**99.** वित्तीय वर्ष 2018–19 में **"मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना"** युवाओं को अपना रोज़गार स्थापित करने के लिये बढ़ावा देने हेतु आरम्भ की गई है। मैं **सहर्ष घोषणा** करता हूँ कि विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिक्रियज्ञटों के आधार पर वर्तमान में चलाई जा रही इस योजना में कुछ संशोधन किए जाएंगे। आवेदकों के लिये अधिकतम आयु की वर्तमान सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाएगा तथा अधिकतम परियोजना लागत (Working Capital को मिला कर) को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया जाएगा। इस योजना में (Credit Guarantee Trust Fund) के तहत लिये जाने वाला शुल्क अब राज्य सरकार देगी। इस योजना के तहत पूँजीगत निवेश की परिभाषा में मशीनरी के अतिरिक्त आवश्यक भवन एवं अन्य परिसम्पत्तियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा किः–

**यूँ ही नहीं होती, हाथ की लकीरों से आगे ऊँगलियाँ,**
**रब ने भी किस्मत से, पहले मेहनत लिखी है।**

**100.** प्रदेश में परम्परागत कलज्ञटों के दस्तकारों को समय–समय पर नये औज़ार खरीदने पड़ते हैं। अतः, अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई **"मुख्यमन्त्री दस्तकार सहायता योजना"** की घोषणा करता हूँ जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दस्तकारों को 30,000 रुपये तक की कीमत के औज़ार 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे।

**101.** किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा उसे लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये विश्व स्तरीय मूलभूत अधोसंरचना का होना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, बद्दी–बरोटीवाला– नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इस औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़कों के उन्नयन के लिये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक संसाधन जुटाये जाएंगे ताकि इन मुख्य सड़कों के उन्नयन का कार्य 2019–20 में ही आरम्भ कर दिया जाए।

**102.** प्रदेश के अंदरूनी व पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सरकार खनिज सम्पदा के दोहन के लिये प्रतिबद्ध है। खनिज की ढुलाई अब केवल **'ट्रांजिट परिपत्र'** के माध्यम से ही की जाएगी जो ऑनलाईन पोर्टल से मिलेगा। खनन पट्टा (Mining Lease) व स्टोन क्रशर के आवेदन भी अब केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। सरकार अवैध खनन

को रोकने के लिये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। राज्य में अवैध खनन् की निगरानी एवं खनन् पट्टों के बेहतर प्रबन्धन हेतु ऑनलाईन जियो–पोर्टल का विकास भी किया जाएगा। चूना पत्थर की नीलामी अब **'ई–नीलामी वैब पोर्टल'** के द्वारा शुरु की गई है।

**103.** उपाध्यक्ष महोदय, जल विद्युत दोहन हमारे प्रदेश के लिये आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में शिथिलता आ गई थी। इस क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत् निर्णय लिये हैं जिन्हें काफी सराहा गया है। 2019–20 में लगभग 500 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की सम्भावना है। इसमें राज्य विद्युत बोर्ड की 100 मैगावाट क्षमता वाली ऊहल–तृतीय चरण तथा हि0 प्र0 पावर कॉरपोरेशन की 111 मैगावाट क्षमता वाली सावड़ा कुड्डू परियोजनाएं शामिलहैं। इन दोनों परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग 700 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली प्रति वर्ष उपलब्ध होगी।

**104.** मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रेणूका जी बाँध परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है, जिसके कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राज्यीय समझौता हाल ही में हुआ है। इस परियोजना के बनने से प्रदेश को लगभग 200 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। चम्बा में स्थित चान्जू–3 (48 मैगावज्ञट) तथा दियोथल चान्जू (30 मैगावज्ञट) जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बाहरी वित्त पोषित एजैंसी (External Funding Agency) से 650 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

**105.** विद्युत दोहन के लिये आवश्यक है कि ट्रांसमिशन व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए। आगामी वित्तीय वर्ष में हि0 प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा ADB Tranche-II तथा Green Energy Corridor की परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है जिन में जिला चम्बा में 400 KV लाहल सब–स्टेशन, जिला कुल्लू में 220 KV छरोर सब–स्टेशन एवं 33 KV पलचान सब–स्टेशन, जिला शिमला में 220 KV सुन्धा सब–स्टेशन, जिला किन्नौर में 66 KV उरनी सब–स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 6 विद्युत सब–स्टेशनों को augment किया जाएगा और उच्च वोल्टेज़ 10 ट्रांशमिशन लाईनों का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस सुदृढ़ ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा 921 मैगावाट अतिरिक्त बिजली transmit हो सकेगी।

**106.** प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कम वोल्टेज़ की समस्या के निदान एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् ने 3,200 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता परियोजना तैयार की है, जिससे नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, स्वचालन एवं आधुनिकीकरण संभव होगा, तथा विश्वसनीय एवं गुणात्मक

विद्युत आपूर्ति की दीर्घकालीन व्यवस्था हो सकेगी। इसे बाह्य सहायता हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।

**107.** उपाध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में नए कनेक्शन प्रदान करने, वोल्टेज़ सुधारने एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य के लिये 850 नए वितरण उप–केन्द्र भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। विद्युत आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से 2019–20 में लगभग 26,000 पुराने तथा गले–सड़े लकड़ी के खम्बों के स्थान पर लोहे के खम्बे लगाए जाने भी प्रस्तावित हैं। वर्तमान में करीब 5 लाख उपभोक्ताओं के पास अभी भी पुराने मीटर हैं जिसके कारण उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं **घोषणा** करता हूँ कि 2019–20 में राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 4 लाख पुराने मीटरों को बदलकर इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे।

**108.** गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र को भी हमारी सरकार बढ़ावा देगी। 2019–20 में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा काज़ा में 2 मैगावज्ञट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हिम ऊर्जा द्वारा 10 मैगावाट के ग्रिड कनेक्टिड सोलर रूफ टॉप पॉवर प्लांटस स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में उपदान पर घरों में सौर ऊर्जा नेट मीटरिंग लगाई जाएगी, जिससे प्रदेश के घरेलू उपभोक्तओं का बिजली का बिल कम हो जाएगा।
**109.** मुझे घोषणा करते हुए हर्ष है कि 2019–20 में गरीब परिवारों के लिये एक नई **"मुख्यमन्त्री रोशनी योजना"** आरम्भ की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत इन परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सर्विस कनेक्शन चार्जिज़ नहीं देने पड़ेंगे। यह बहुत बड़ी मांग थी क्योंकि गरीब लोगों के घरों के पास से बिजली गुजरती थी मगर पैसा कम होने के कारण उनको अपने घर में बिजली का कनैक्शन लगाने में मुश्किल होती थी। उनको सर्विस वायर और मीटर के लिए पैसा देना पड़ता था उस दृष्टि से हमने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उन गरीब लोगों को बिजली का कनैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली, सस्ती दरों पर देने के लिये, 2019–20 में 475 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा किः–

*चिराग सी तासीर रखिए,*
*सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ।*

**110.** उर्जा विभाग और बिजली परियोजनाओं के लिये 1,208 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
**111.** **उपा**ध्यक्ष महोदय, पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार एवं आय बढ़ाने की आपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। हमारी सरकार पर्यटन विकास और प्रोत्साहन के लिये **नई पर्यटन नीति** तैयार करेगी। प्रदेश में ईको–टूरिज़्म की भी प्रबल संभावनाएं हैं। वन भूमि पर स्थापित होने वाली इन ईकाईयों से

सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये सरकार प्रयास करेगी व ईको–टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये विशेषज्ञों की सहायता से एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसमें निजी निवेश के लिये भी विशेषप्रावधान किया जाएगा। मैं **"पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड"** के गठन की भी **सहर्ष घोषणा** करता हूँ। पौंग बांध हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। इसलिए उस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से एक नई डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमने एक पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह बोर्ड पौंग क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास बारे नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करेगा। इससे क्षेत्र का पर्यटन, कला व रोज़गार सृजन की दृष्टि से विकास संभव होगा। क्योंकि यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

**112.** हमारे प्रदेश में लगभग 1,300 **'होम स्टे'** ईकाईयां हैं। मेरा यह मानना है कि प्रदेश में 'होम स्टे' की और अधिक संभावनाएं हैं। होम स्टे न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं बल्कि साथ ही ये हमारे ग्रामीण बेरोज़गार युवक–युवतियों के लिये भी सम्मानजनक रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिये हमारी सरकार होम स्टे के लिये वर्तमान की तीन कमरों की सीमा को बढ़ाकर 4 कमरे करेगी। जो होम स्टे मालिक अपनी बुकिंग को एक कॉमन पोर्टल पर लाना चाहेंगे, पर्यटन विभाग इसमें सहायता प्रदान करेगा। होम स्टे के विभिन्न पहलुओं पर सुनियोजित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।

**113.** हिमाचल प्रदेश देव भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रदेश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को संजोए रखने तथा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, प्रदेश के मण्डी जिले में एक **"शिव धाम"** स्थापित करने की **घोषणा** करता हूँ। मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चण्डीगढ़ से एक लम्बा सफर तय करने के बाद बीच में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पर्यटक रुक सकें। मंडी बीच में पड़ता है और हम चाहते हैं कि कोई टूरिस्ट अगर चण्डीगढ़ से चले तो 5-6 घंटे के सफर के बाद मंडी में रुके और उसके बाद आगे मनाली के लिए अपना सफर शुरू करे। मंडी वैसे भी छोटी काशी के रूप से जानी जाती है। वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए हमने चाहा कि वह धार्मिक दृष्टि से आस्था का एक केंद्र बने तथा पर्यटन की दृष्टि से भी एक नई डेस्टिनेशन उभरकर सामने आए। इस नवनिर्मित स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु 12 ज्योतिर्लिंगों की अनुकृतियों को स्थापित किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी **घोषणा** करता हूँ कि शिमला में शीघ्रही दो स्थलों पर लाईट एण्ड साऊंड ैवू शुरु किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश की देव संस्कृति को पर्यटकों के समक्ष रखने के उद्देश्य से कुल्लू जिला में **'लाईट एण्ड साऊंड'** show के माध्यम से प्रदेश की देव संस्कृति को प्रदर्शित करने की संभावनाएं भी खोजी जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को एक पसंदीदा पर्यटक स्थली के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। मैं कहना चाहूँगा किः–

***You don't get what you wish for,***

***You get what you work for.***

**114.** पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये 2019–20 में शिमला के प्रसिद्ध Bantony Castle के जीर्णोद्धार का कार्य, मण्डी में ब्यास नदी के तट पर हरिद्धार और बनारस की तर्ज़ पर आरती के लिये घटों के निर्माण का कार्य तथा जंजैहली में एक सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा। इसी के साथ तत्तापानी में धार्मिक पर्यटन के साथ–साथ जल क्रीड़ा पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा।

**115.** उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नई योजना **"नई राहें–नई मंजिलें"** के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। 2019–20 में भी इस योजना को जारी रखा जाएगा तथा इसके लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। पहले टूरिज्म पर बात होती थी मगर उसके लिए बजट प्रावधान नहीं होता था और काम तो तभी हो पायेगा जब बजट का प्रावधान होगा।

**116.** विश्व धरोहर **'ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क'** तथा पौंग डैम, रेणुका जी व चन्द्रताल महत्वपूर्ण 'रामसर साइट्स (Ramsar Sites) पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में दुर्लभ वन्य जीवों तथा जैव विविधता के लिये प्रसिद्ध हैं। हमारी सरकार भारी संख्या में आने वाले राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सैलानियों व प्रदेशवासियों की सुविधा के लिये इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन Facilitation Centres को अधिक आक ार्क बनाएगी।

**117.** हमारी सरकार ने 1,892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक से अनुमोदित करवाने के लिये पहल की है। इस परियोजना के अन्तर्गत हमारा प्रयास विभिन्न नगरों को बेहतर बनाना, ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित और पुर्नस्थापित करना, पर्यावरण–पर्यटन और साहसिक पर्यटन को विकसित करना, कौशल विकास, क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक आधारित गतिविधियों को बढ़ाना होगा।

**118.** उपाध्यक्ष महोदय, चमेरा, कोल डैम, लारजी तथा गोबिन्दसागर झील में जल परिवहन तथा अन्य गतिविधियों के विकास हेतु भारत सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे न केवल जल परिवहन एवं जल क्रीड़ाटों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अपितु बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। 2019–20 में हमारा लक्ष्य रहेगा कि 3,000 युवक युवतियों को पर्यटन की विभिन्न परियोजनज्ञटों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाए।

**119.** प्रदेश में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की स्थापना हेतु हम प्रयासरत हैं। मण्डी जिला के नागचला को इस प्रयोजन हेतु उचित स्थल पाया गया है, जहाँ Obstacle Limitation Surface (OLS) सर्वे किया जा चुका है।

**120.** जून, 2018 में जुब्बड़हट्टी से चण्डीगढ़ तक शुरु की गई हैली टैक्सी से अक्तूबर माह तक इच्छुक यात्री लाभ उठा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों से भी ऐसी सेवायें शुरु करने के प्रयास किए जाएंगे। Regional Connectivity Scheme (RCS) 'उड़ान–2' के अन्तर्गत, प्रदेश की तीनों हवाई पट्टियों को जिला मण्डी, कुल्लू व सोलन के एक–एक हैलीपैड, व जिला शिमला के तीन Helipads से हैली–टैक्सी सेवा से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 से चण्डीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू तथा शिमला से धर्मशाला के लिये भी हैली–टैक्सी सेवाएं आरम्भ की जानी प्रस्तावित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चण्डीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला की उड़ान-II एक महीने के अंदर-अंदर शुरू हो जायेगी। हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक हैलीपैड का निर्माण किया जाए।

**121.** राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत् युवाओं के कौशल का उन्नयन आवश्यक है। 2019–20 में **"कौशल विकास भत्ता योजना"** के लिये 100 करोड़ रुपये बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार ने इस योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का तृतीय पक्ष मूल्याँकन करवाने का भी निर्णय लिया है।

**122.** रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा 2019–20 में 9 रोज़गार मेले व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 10,000 युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना है।

**123.** उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सड़क ही परिवहन का मुख्य साधन है। हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य के दूर–दराज़ क्षेत्रों तक परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहा है। निगम की

कार्यप्रणाली में आधुनिकीकरण अपेक्षित है, ताकि निगम बेहतर सेवायें देने में सक्षम हो। वित्तीय वर्ष 2019–20 में परिवहन निगम में आधुनिक Integrated Public Transport Management System (IPTMS) प्रणाली की स्थापना की जाएगी, ताकि यात्रियों का सफर सुविधाजनक हो सके। इस प्रणाली के स्थापित होने से बसों में सफर के दौरान कैशलैस लेन–देन, बसों की समय–सारिणी की ऑनलाईन जानकारी, सफर के दौरान GPS के माध्यम से वाहन की अवस्थिति के बारे में जानकारी इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। 2019–20 में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में 297 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

**124.** हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोप–वे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमैंट कॉर्पोरेशन (RRTDC) स्थापित की है। 2019–20 में RRTDC शिमला और मनाली में ओवरहैड मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्थापित करने के लिये Pre-feasibility study कराएगी। यह निगम PPP आधार पर रोप–वे और परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधनों को विकसित करने के अवसरों की संभावनज्ञटों का पता भी लगाएगा। इसके साथ ही 2019–20 में बगलामुखी माता मन्दिर, मण्डी तथा पालमपुर में न्यूगल के लिये रज्जू मार्गों के निर्माण के लिये आवश्यक प्रक्रियाएं आरम्भ की जानी प्रस्तावित हैं।

**125.** उपाध्यक्ष महोदय, 2019–20 में करसोग, बरछवाड़ (सरकाघाट), ठियोग, निरमंड, स्वारघाट और पौंटा साहिब में निर्माणाधीन बस अड्डों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा।

**126.** हमारी सरकार नई विद्युत वाहन नीति तैयार करेगी जिसका उद्देश्य सतत्, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं समकालिक यातायात मुहैया करवाना होगा।

**127.** ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने से पहले ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिये बद्दी और जसूर में स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइवर टैस्टिंग ट्रैक विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे मानव हस्तक्षेप हटेगा और सड़क सुरक्षा में सार्थक परिणाम होंगे। इसके साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि निजी क्षेत्र की भागीदारी में वर्ष 2019–20 के दौरान वाहनों के परीक्षण के लिये मोबाईल प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों की सहायता से वाहनों को फिटनैस सर्टिफिकेट जारी करने के लिये आवश्यक परीक्षण किया जा सकेगा।

**128.** सड़क दुर्घटनज्ञटों की रोकथाम के लिये सड़क सुरक्षा कार्यकलापों हेतु परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग में आपसी तालमेल के माध्यम से एक नीति को प्रभावी

प्रारूप दिया जाएगा। इन सभी गतिविधियों की समीक्षा एवं कार्यान्वयन हेतु परिवहन विभाग नोडल विभाग रहेगा। प्रदेश में Road Safety हेतु 2019–20 में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। यह राशि Road Safety Committee की अनुशंसा पर खर्च की जाएगी।

**129.** दुर्घटना में मृत्यु होने की अवस्था में **"हिमाचल प्रदेश यात्री अनुग्रह अनुदान"** (Ex-gratia Grant) योजना के अन्तर्गत मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपये दिया जाता है, परन्तु 12 वर्ष की आयु तक के मृतक बच्चों के परिवार को 50 प्रतिशत अनुदान ही दिया जाता है, जो तर्कसंगत नहीं है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि इस अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान राशि सबको एक समान 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।

**130.** उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में, जहाँ रेलवे और जल परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहाँ सड़कों का बहुत महत्व है। हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार के लिये गुणवत्ता और अंसनम वित उवदमल इस क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने हेतु मुख्यमन्त्री कार्यालय में Quality Monitoring Cell का गठन किया गया है, जिसे और सुदुढ़ किया जाएगा। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता संवर्धन तथा प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उद्देश्य से, प्रदेश में सड़कों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये Indian Road Congress (IRC) मान्यता प्राप्त गैर–पारम्परिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें गर्म मिश्रण एस्फाल्ट का उपयोग, बिटुमिन्स निर्माण में माइक्रोसरफेसिंग फॉग सील स्प्रे (Micro Surfacing Fog Seal Spray)तथा स्लैब कलवर्ट और नालियों के लिये pre-cast तकनीक का इस्तेमाल सम्मिलित है।

**131.** प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 3,128 पंचायतों को मोटर वाहनों से जोड़ा जा चुका है। बची हुई 98 पंचायतों में से 59 पंचायतों में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। शेष 39 पंचायतों में सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को भी सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि उन्हें भी शीघ्र ही सड़क से जोड़ा जा सके। मैं लागों से अपील करता हूँ कि जहाँ आवश्यक हो, निजी भूमि उपलब्ध करवाएं, ताकि सड़क निर्माण कार्यों में तेज़ी लाई जा सके।

**132. "प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना"** से प्रदेश के सड़क नेटवर्क को विस्तृत करने में सहायता मिली है। 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 500 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, जो कि नए क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ेंगी, का निर्माण तथा 1,000 किलोमीटर वर्तमान सड़कों को metalling and tarring द्वारा अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। **"मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना"** के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**133.** सड़क निर्माण में पर्यावरण अनुकूल Green Technology को शामिल करना आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर ऐसी सड़कों का चयन कर रहा है,

जिनमें कम घनत्व वाले प्लास्टिक Waste का इस्तेमाल सड़कों को पक्का करने हेतु किया जा सके।

**134.** आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने पूरे राज्य में तीसरे पक्ष के परामर्श के माध्यम से प्रमुख पुलों का सुरक्षा परीक्षण करने का निर्णय लिया है। यह कार्य 2019–20 में पूरा करने का प्रस्ताव है। 2019–20 में सड़क परियोजाओं की ऑनलाईन निगरानी के लिये ई–प्रोजेक्ट मैनेजमैंट सिस्टम तथा सड़कों के रख–रखाव के लिये सॉफ्टवेयर पर आधारित सड़क प्रबन्धन प्रणाली को भी लागू करना प्रस्तावित करता हूँ।

**135.** 2019–20 के लिये 750 किलोमीटर वाहन योग्य नई सड़कों का निर्माण, 1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 850 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर पुलियों का निर्माण, 50 पुल तथा इस सब अधोसंरचना के माध्यम से 50 नए गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

**136.** प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिये तथा उनके रख–रखाव के लिये वर्ष 2019–20 के लिये 3,921करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

**137.** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह **घोषित** करते हुए हर्ष हो रहा है कि छोटे कारोबारियों को आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत्, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये GST में पंजीकरण हेतु वर्तमान निर्धारित वार्षिक टर्नओवर सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में छोटा कारोबार करने वाले व्यवसायियों की संख्या बहुत अधिक है और वे सब इससे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त वार्षिक 75 लाख रुपये के टर्नओवर की कम्पोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

**138.** मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि नाकों पर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का समय बचाने हेतु Certain Goods Carried by Road Tax (CGCR), Passenger and Goods Tax (PGT) और Additional Goods Tax (AGT) को ऑनलाईन तथा मोबाईल ऐप के माध्यम से जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि इस सुविधा के शुरु होने के बाद, अगले दो वर्षों में प्रदेश में, टैक्स बैरियर को हटाकर Tax Facilitation Centres स्थापित किए जाएंगे। लघु व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर की विवरणियों को ऑनलाईन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर, राज्य कर एवं आबकारी कार्यालयों में इंटरनेट व कम्प्यूटर सुविधायुक्त बूथ स्थापित किए जाएंगे।

**139.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम की शिक्षा पर स्टीक टिप्पणी साँझा करना चाहूँगाः–

***शिक्षा इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और***
***उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।***

**140.** प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 10,657 प्रारम्भिक पाठशालायें, 1,996 माध्यमिक पाठशालायें, 922 उच्च पाठशालायें तथा 1,836 उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें हैं। इसके अतिरिक्त 137 महाविद्यालय तथा 1 बी.एड कॉलेज भी है। सरकारी क्षेत्र में इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित 7 अन्य विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 3,252 निजी शैक्षणिक संस्थान भी प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

**141.** हमारी सरकार स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्प है। इसके लिये सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। विद्यालयों की ICT प्रयोगशालाओं में वर्तमान आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करके विद्यालयों में वीडियो सम्मेलन कक्षों की स्थापना की जाएगी, ताकि ऑनलाईन पठन–पाठन कार्यक्रम शुरु किया जा सके।

**142.** उपाध्यक्ष महोदय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये हमारी सरकार ने 2018–19 में **"अटल आदर्श विद्या केन्द्र"** के नाम से नई योजना शुरु की थी। मैं ये **घोषणा** करता हूँ कि 2019–20 में 15 नये **अटल आदर्श विद्या केन्द्र** प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

**143.** भौगोलिक कठिनाईयों वाले हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में वर्चुअल क्लासरूम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में एक **नई (CV Raman Virtual Class Room Yojna)** को आरम्भ करने की प्रस्तावना करता हूँ। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2019–20 में दूर–दराज़ के 10 महाविद्यालयों में, वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे।

**144.** विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस समय National Skill Qualification Framework (NSQF) योजना के तहत 873 पाठशालाओं में 11 व्यवसायों पर आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि 80 अतिरिक्त विद्यालयों में भी इस शिक्षा को प्रदान करने के प्रबन्ध किए जाएंगे, तथा अतिरिक्त व्यवसाय जैसे इलैक्ट्रॉनिक्स, अपेरल, फर्निशिंग, सौंदर्य व प्रसाधन, प्लम्बर इत्यादि के कोर्स भी शुरु किए जाएंगे। 2019–20 में B.VoC (Bachelor of Vocational Studies) को 6 अन्य कॉलेजों, और 2 नए सेक्टर IT, BFSI (Banking Financial Services and Insurance) में B.VoC कोर्स शुरु किए जाएंगे। 2019–20 में 4,000 छात्र B.VoC की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। युवाओं को रोज़गार

प्रदान करने के लिये महाविद्यालयों में रोज़गार मेले आयोजित किए जाएंगे जिससे पात्र युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सके।

**145.** 2019–20 में 50 अतिरिक्त स्कूलों तथा 50 महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा जिनमें अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत भाषा बोलने एवं सीखने का प्रावधान भी किया जाएगा। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये शिक्षा विभाग द्वारा रेमिडियल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये सतत् समग्र मूल्यांकन, यानि Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिये अभिभावकों का सहयोग लिया जाएगा।

**146.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अध्ययनरत छात्रों को स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण का प्रावधान करने के प्रति सजग है। इसी परिपेक्ष में एक नई **"अटल निर्मल जल योजना"** की घोषणा करते हुए अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ॅजमत थ्पसजमत लगाए जाएंगे। हमारी सरकार का 2019–20 के दौरान **"खेल से स्वास्थ्य योजना"** आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिये 50 वरि ठ माध्यमिक स्कूलों और 50 कॉलेजों में कबड्डी मैट, रेसलिंग मैट तथा जूडो मैट स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चिन्हित स्कूलों/कॉलेजों में ज्तंबा और Field, बॉक्सिंग रिंग, वेट लिफ्टिंग के उपकरण इत्यादि भी प्रदान किए जाएंगे।

**147.** शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों का निर्धारित मानदंडों के आधार पर होना आवश्यक है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिक्त पड़े कार्यमूलक शिक्षकों के पदों को भर दिया जाएगा।

**148.** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने मिड–डे–मील वर्करज़ को वर्तमान में मिलने वाले मासिक मानदेय को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वाटर कैरियरज़ को मिलने वाले मासिक मानदेय को बढ़ाकर 2,400 रुपये करने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग में Part time Water Carrier, Lab Staff तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लगभग 1,000 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।

**149.** उपाध्यक्ष महोदय, PTA/Para शिक्षकों की सेवाओं का शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परन्तु कानूनी बाधाओं के दृष्टिगत् इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। इनकी वित्तीय कठिनाईयों से हमारी सरकार अवगत है। अतः मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार ने इनकी वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिये, अनुबन्ध पर ऐसे अध्यापक, जिन्होंने 1–10–2018 को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें payband की न्यूनतम राशि जमा ग्रेड

पे व महंगाई भत्ता के बराबर राशि दी जाएगी। यह मामला बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है। पी0टी0ए0 टीचर काफी समय से दूरदराज के एरियाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा मानवीय दृष्टिकोण रहना चाहिए। चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हमने यह सोचा है कि जब तक वहां से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक उनकी श्रेणी के हमारे नियमित अध्यापक जो-जो वित्तीय लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी वही लाभ दिए जाएं। स्कूल मैनेजमैंट कमेटी (SMC) द्वारा पीरियड के आधार पर रखे गये अध्यापकों के पारिश्रमिक में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी की भी घोषणा करता हूँ। जहां पर नियमित अध्यापक नहीं होते हैं वहां पर ये एस0एम0सी0 अध्यापक अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उनके पारिश्रमिक में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।

**150.** शिक्षा पर 2019–20 में 7,598 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रस्ताव करता हूँ।

**151.** उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 127 ITIs सहित कुल 149 तकनीकी शिक्षण संस्थान हिमाचल के बच्चों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में वर्तमान में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। निजी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की संख्या 195 है, जिनमें से 147 ITIs हैं तथा 14 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।

**152.** हमारी सरकार ने सत्र 2019–20 में जिला काँगड़ा के रक्कड़, तथा जिला मण्डी के सिराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय में कक्षाएं शुरु करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रगतिनगर में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग डिग्री तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पौंटा साहिब, जिला सिरमौर में इलैक्ट्रीकल तथा ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग के नए डिप्लोमा व्यवसाय चलाए जाएंगे। इसी प्रकार से 5 नए ITIs – भंजराडू एवं सलूनी, (चम्बा) अम्बोया एवं सतौण (सिरमौर) तथा लडभड़ोल (मण्डी) में खोले जाएंगे। ITIs चौपाल और कुमारसैन में नए ट्रेड शुरु किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त करसोग और दलाश में बहुतकनीकी संस्थान खोले जाएंगे।

**153.** हिमाचल प्रदेश स्किल डवेल्पमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2019–20 में 32,000 हिमाचली युवाओं को NSQF आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा **"नवधारणा"** के नाम से दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार और उद्यमियता कौशल का पोषण करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत 2019–20 में 300 दिव्यांगजनों को रिटेल, आतिथ्य, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

**154.** अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों को रोज़गार पूरक बनाने के लिये 10 सरकारी कॉलेजों में कौशल विकास निगम द्वारा Graduate Add-on प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत Banking,

Financial Services and Insurance (BFSI), Electronics, IT, Beauty & Wellness तथा Apparel इत्यादि सेक्टरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1,500 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है। कौशल विकास निगम द्वारा नियमित रूप से उद्योगों, उद्योग संघो, Sector Skill Councils व अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के साथ संवाद रखा जाएगा ताकि प्रशिक्षण उपरान्त युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सके।

**155.** हिमाचल में हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय में रोज़गार उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं हैं। अतः हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अन्तर्गत निगम द्वारा 8 चयनित हस्तशिल्प कलाओं में 5,000 युवकों को प्रशिक्षित करने के लिये, चयनित शिल्पकारों की मास्टर ट्रेनर के रूप में सेवायें ली जाए। इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प दस्तकारों को प्रशिक्षण, डिजाईन व बिक्री तथा विभिन्न व्यापारिक मेलों में भाग लेने हेतु सहयोग दिया जाएगा।

मैं प्रदेश के शिल्पकारों से कहना चाहूँगा किः–

***कामयाबी के दरवाजे, उन्हीं के खुलते हैं,***
***जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं।***

**156.** हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलेपमैंट प्रोजैक्ट (HPSDP) के तहत 50 ITI के उन्नयन हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 23 ट्रेडों को State Council for Vocational Training (SCVT) से National Council for Vocational Training (NCVT) प्रमाण पत्र में परिवर्तित किया जाएगा। इससे 2019–20 में लगभग 2,300 छात्रों को लाभ मिलेगा। 47 ITIs में 29 ट्रेड्स से सम्बन्धित नए उपकरण लगाए जाएंगे तथा लैबोरेटरीज़ का नवीनीकरण किया जाएगा। इस नवीनीकरण के माध्यम से ITIs में इसी वर्ष से लगभग 5,400 अतिरिक्त विद्यार्थियों को भर्ती किया जा सकेगा।

**157.** उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा देश की अधिकाँश भाषाओं की जननी है और यह हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि हिमाचल में संस्कृत भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिये राजभाषा अधिनियम में आवश्यक संशोधन बिल इसी बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा।

**158.** हाल ही में प्रदेश के स्पीति क्षेत्र तथा सिरमौर जिले में ऐसे संकेत मिले हैं कि इन क्षेत्रों में Archaelogical महत्व के कुछ अवशेष हो सकते हैं। प्रदेश में कला एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध

के अन्तर्गत लाहौल–स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र तथा सिरमौर जिला में Archaelogical Excavation आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

**159.** मैं खेलों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानता हूँ, जो मन को बल देते हैं और अनुशासन सिखाते हैं। युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना जरूरी है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो तथा वह नशा इत्यादि बुराईयों से भी दूर रहें। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में नई खेल नीति बनाई जाएगी, जिसमें युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

**160.** हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में **"मुख्यमन्त्री युवा निर्माण योजना"** के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, चरणबद्ध तरीके से, दो बड़े बहुउद्देशीय मैदान बनाए जाएंगे, जो कि मुख्यतः खेल गतिविधियों के लिये प्रयोग किए जाएंगे। यथासंभव यह मैदान फुटबाल फील्ड के आकार के होगें तथा इनमें जिम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपये तक की राशि सरकार की ओर से देने की **सहर्ष घोषणा** करता हूँ। 15 लाख रुपये से अतिरिक्त राशि अन्य योजनाओं, जैसे MGNREGA, VKVNY, MPLADS, 14th Finance Commission Grants इत्यादि के साथ तालमेल बिठा कर व्यवस्थित की जाएगी। इनके बनने से युवाओं को समाजिक कार्यों तथा खेल कूद की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।

**161.** खेलों में प्रतिभावान बच्चों एवं किशोरों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिये तैयार करने के उद्देश्य से एक नया **"खेल–कूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम"** शुरु किया जाएगा। प्रदेश में आयोजित विभिन्न खेल कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान अनुभवी खेल प्रशिक्षकों की टीम के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा।

**162.** उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिये सीनियर राष्ट्रीय, जूनियर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्कूली, व अन्तर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों की इनाम राशि को दोगुना करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

**163**. उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों एवं युवाओं को देश के प्रतिष्ठित फिल्म एवं टैलिविज़न संस्थानों, परफार्मिंग आर्टस संस्थानों इत्यादि में अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई **"कलाकार प्रोत्साहन योजना"** शुरु करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश से इन संस्थानों में अध्ययन के लिये चुने जाने वाले बच्चों को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त दी जाएगी।

**164.** पत्रकार बन्धु प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं व अन्य समाचारों को प्रदेश की जनता तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन सूचनाओं को एकत्र करने के लिये उन्हें अलग–अलग जगहों पर जाना पड़ता है और उसी स्थान से एकत्रित सूचनाओं को समाचार पत्रों को प्रेषित

करना पड़ता है। अतः इस कार्य को प्रभावशाली रूप से करने के लिये, मुझे यह घोषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के सभी राज्य व जिला स्तर के accredited पत्रकारों को सरकार द्वारा एक–एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि सेवारत पत्रकारों की मृत्यु पर **"पत्रकार कल्याण योजना"** के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये और सेवानिवृत पत्रकारों के लिये 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाए।

**165.** उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में सभी सरकारी अस्पतालों, आयुर्वेदिक अस्पतालों, डिस्पैंसरियों इत्यादि तथा स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों सहित 4,320 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवायें देने में निजी क्षेत्र की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थानों सहित 258 स्वास्थ्य संस्थान कार्य कर रहे हैं।

**166.** उपरोक्त स्वास्थ्य संस्थानों के अतिरिक्त बिलासपुर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना केन्द्र सरकार की सहायता से की जा रही है। अभी हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी तथा मेरे द्वारा संयुक्त रूप से इस संस्थान का ground breaking समारोह संपन्न किया गया। मैं दिल की गहराईयों से माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का इसके लिये धन्यवाद करता हूँ। इस संस्थान के पूरा होने के पश्चात् प्रदेश में ही आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकेगा।

**167.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में सर्वव्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये भरपूर प्रयास कर रही है। भारत सरकार की सहायता से प्रदेश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का चरणबद्ध ढंग से उन्नयन करके स्वास्थ्य एवं वेलनैस ;मससदमेद्ध केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 2019–20 के दौरान 500 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस (Wellness) केन्द्रों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। इन केन्द्रों में गर्भावस्था एवं प्रसव के समय वाँछित सुविधाएं, शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, बाल एवं किशोर अवस्था चिकित्सा सुविधाएं, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग प्रबन्धन सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

**168.** प्रदेश में स्थित सभी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में मरीज़ों की बहुत अधिक संख्या रहती है, क्योंकि अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में एक स्थान पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है। मैं सहर्ष माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार **"सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना"** शुरु करेगी। इसके अन्तर्गत, प्रथम चरण में, 12 स्वास्थ्य संस्थानों, जिनमें कुछ जिला अस्पताल भी शामिल हैं, को सम्पूर्ण अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा। इन सम्पूर्ण अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। इनमें ऐसी व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी

जिसके माध्यम से तृतीयक (Tertiary) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को किए गए रैफरल केसिस की ऑनलाईन मॉनिटरिंग भी हो सकेगी।

**169.** प्रदेश के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में भी सुविधाओं का उन्नयन आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी एवं डॉ0 वाई. एस. परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नाहन में हृदय एवं सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से इन दो महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से Cath Labs स्थापित की जाएंगी।

**170.** इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेजए शिमला में मस्ति क के विकारों, कैंसर, फेफड़ों से रक्तस्राव आँत, यूट्रस और गुर्दे इत्यादि से सम्बन्धित विकारों का पता लगाने के लिये अत्याधुनिक Digital SubtrAction Angiography Machine स्थापित करने का प्रस्ताव है। जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, चम्बा में 100 बिस्तरों वाला एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किया जाएगा। इससे चम्बा जिला के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये आवश्यक सुविधाएं जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रदेश सरकार के सभी मैडिकल कॉलेजों में critical patients को एंबुलैंस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु, एक–एक आधुनिक एंबुलैंस उपलब्ध करवाई जाएगी। यह एंबुलैंस आपातकालीन अवस्था में आवश्यक सभी उपकरणों एवं Ventilator से लैस होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब बीमारी या दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को कहीं बड़े अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जाता है तो अभी तक हमारे पास वैंटीलेटर के साथ एम्बुलैंस उपलब्ध नहीं है। यदि मरीज को उपचार हेतु किसी बड़े स्वास्थ्य संस्थान में ले जाना है तो कई बार वैंटीलेटर वैन के बिना यह कठिन हो जाता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने जिला स्तर के सभी होस्पिटल्ज में वैंटीलेटर वैन शुरू करने का निर्णय लिया है।

**171.** हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जन्म–जात बधिर बच्चों की पहचान की जाए और उनके उपचार के लिये **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम"** के तहत व्यवस्था की जाए, जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट का प्रावधान भी शामिल हैं। इस दिशा में इन्दिरा गान्धी मैडिकल कॉलेज, शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कॉलेज, टाण्डा और लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज, नेरचौक में केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग के लिये पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध करवाया जाएगा।

**172.** उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर बिमारियों जैसे Parkinson's, Cancer, Paralysis, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalassemia, Renal failure इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, निरन्तर देखभाल की भी आवश्यकता रहती है। इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मैं एक नई **"सहारा"** योजना की घोषणा करता हूँ, जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर मरीज़ों को वित्तीय सहायता के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हमने यह निर्णय एक मानवीय दृष्टिकोण से लिया है। ऐसे बहुत सारे मरीज जिनको हेमोफिलिया, थेलेसीमिया हो गया है। किसी के दुर्घटना में दोनों बाजू या टांगे चली जाती हैं तो उनको अपनी देखभाल के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में कई बार गरीब परिवार के लोग उसको सहारा देने की स्थिति में नहीं होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को हर महीने दो हजार रुपये मदद के रूप में दिए जाएं।

**173.** प्रदेश भर में सभी आयु वर्गों के लगभग 4,200 व्यक्ति हैं जो भ्ट ।प्वै से संक्रमित हैं। इन संक्रमित व्यक्तियों की आयु के आधार पर वर्तमान में इन्हें 300 रुपये से 800 रुपये प्रतिमाह खुराक के लिये उपदान दिया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि सभी आयु वर्गों के HIV AIDS से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को समान रूप से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। इन संक्रमित व्यक्तियों को सम्बन्धित ईलाज के लिये मुफ्त ईलाज़ की सुविधा दी जाएगी।

**174.** उपाध्यक्ष महोदय औद्योगिक क्षेत्र बद्दी एवं नालागढ़ के आस–पास सड़क यातायात में वृद्धि के साथ–साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। अतः हमने निर्णय लिया है कि घायल व्यक्तियों के तुरन्त उपचार हेतु बद्दी– बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए। इसी प्रकार शिमला–कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही प्रत्येक जिला में रैड क्रॉस सोसाईटी को एक–एक मोक्ष (शव) वाहन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उपचार करवाते वक्त अस्पताल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों के सामने कई बार बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि टैक्सी वाला शव ले जाने से इनकार करता है और जो अस्पताल में ऐम्बुलैंस होती है उसके लिए यह कहा जाता है कि यह मरीज को लाने के लिए है न कि किसी शव को ले जाने के लिए है। इसलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर के सभी अस्पतालों में एक शव वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

**175.** संस्थागत प्रसवों को प्रोत्साहित करने के लिये मैं **"जननी सुरक्षा योजना"** के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं BPL परिवारों की प्रसूतज्ञटों को प्रसव के दौरान दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, जो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के लिये 600 रुपये है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 700 रुपये है को बढ़ाकर दोनों क्षेत्रों के लिये 1,100 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

**176.** उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई है। अतः इसकी जल्द पहचान एवं इलाज़ के लिये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये Mobile Diagnostic Vans तैनात की जाएं। यह मोबाईल वैन प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर इन बीमारियों को रोकने के लिये कार्य करेंगी।

**177.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने **"आयु मान भारत"** से शेष बचे परिवारों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिये **"हिम केयर"** योजना शुरु की है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी व्यक्ति, यदि मनरेगा में एक वर्ष में 50 दिन या उससे अधिक कार्य करता है, तो उसके परिवार को उस वर्ष तथा उसके अगले वर्ष में **'हिम केयर'** में 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, बिना किसी इन्श्योरेंस प्रीमियम के, प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त outsource कर्मियों को यह सुविधा मात्र 1 रुपया प्रतिदिन प्रीमियम की दर से प्रदान की जाएगी।

**178.** उपाध्यक्ष महोदय, आशा वर्करज़ के मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत् मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि आशा वर्करज़ को प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले मासिक मानदेय अँशदान को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाएगा।

**179.** स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये 2019–20 में 2,482 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**180.** स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में तीन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी माजरा, पपरोला एवं जोगिन्द्रनगर में स्थित हैं। इन फार्मेसी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये इनमें संयंत्रों एवं उपकरणों को उन्नयनित किए जाने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।

**181.** आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदेश भर में 1,712 स्कूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा हेतु गोद लिये गए हैं। इन स्कूलों में विभाग द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता, दैनिक जीवन शैली, पोषण एवं सामान्य बीमारियों के ईलाज सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आयुर्वेद विभाग वर्ष 2019–20 से इन गोद लिये हुए विद्यालयों में नशे से दूर रहने एवं नशा निवारण से सम्बन्धित जानकारियां भी साँझा करेगा।

**182.** वर्तमान में आयुर्वेद विभाग द्वारा कुल्लू के बंजार, काँगड़ा के बैजनाथ तथा शिमला के बसन्तपुर विकास खण्डों को अनीमिया मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन विकास खण्डों को अनीमिया मुक्त बनाने तक यह प्रयास जारी रखे जाएंगे और साथ ही 3 अतिरिक्त विकास खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

**183.** आयुर्वेद के लिये 2019–20 में 288 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

**184.** उपाध्यक्ष महोदय, एक संवेदनशील समाज का दायित्व है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए।

**185.** उपाध्यक्ष महोदय, कम उम्र में हुई विधवाओं को जीवन यापन के साधन जुटाने में सबसे अधिक कठिनाई पेश आती है। आवश्यक कौशल के अभाव में रोज़गार अथवा स्वरोज़गार के रास्ते भी उनके लिये सीमित रहते हैं। अतः मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को नर्सिंग संस्थानों तथा ITIs में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि वे उचित प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार पाने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त कम पढ़ी–लिखी विधवाओं को कौशल विकास निगम और श्रम एवं रोज़गार विभाग की विभिन्न कौशल विकासयोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके लिये उचित वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया जाएगा।

**186.** मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूँ कि ऐसी सभी विधवाएं, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हों, प्रदेश सरकार की HIM CARE स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत, बिना कोई प्रीमियम दिए, 5 लाख रुपये तक का स्वस्थ बीमा लाभ पाने की पात्र होंगी। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष परित्यक्ता महिलाओं/विधवाओं को दो बच्चों के पालन–पोषण हेतु प्रति बच्चा, प्रति वर्ष सहायता राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की थी। मैं इस सहायता राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

मैं कहना चाहूँगा किः–

***हमने रोती आँखों को हंसाया है सदा,***
***इससे बेहतर इबादत तो नहीं होगी हमसे।***

**187.** मैं माननीय सदन को सहर्ष सूचित करना चाहता हूँ कि बाल/बालिका आश्रमों में रह रहे उन बच्चों के लिये, जिन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त आश्रम छोड़ना पड़ता है और उनके पास रहने के लिये कोई जगह/घर नहीं है, ऐसे बच्चों के लिये **'आफ्टर केयर होम'** स्थापित किए जाएंगे। लड़कियों के लिये मशोबरा (शिमला), और लड़कों के लिये टुटीकण्डी (शिमला), व अर्की (सोलन) में 'आफ्टर केयर होम' स्थापित किए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के 8वीं, 10वीं एवं 10+2 कक्षाओं के सभी ऐसे बच्चों, जिन्होंने 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

**188.** राज्य के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों में लगभग 1,600 बच्चे हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कई बार उनके पास रोज़गार का कोई अवसर नहीं होता है। ऐसे बच्चों, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उनके लिये फ्लेक्सी ।T। योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के बाल–देखभाल संस्थानों के बच्चों को रोज़गार प्रदान करने के लिये विभिन्न उद्योगों के साथ समझौता किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 'On the Job Training' के बाद वहीं रोज़गार देने का प्रबंध किया जाएगा।

**189.** मैं माननीय प्रधानमन्त्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने **पोषण अभियान** को प्रदेश के समस्त जिलों में शुरु करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

**190.** महिला विकास निगम द्वारा स्वरोज़गार हेतु ऋण लेने के लिये सभी पारिवारिक आय स्रोतों से वर्तमान आय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि और अधिक लाभार्थियों को निगम की स्कीमों का लाभ मिल सके।

**191.** केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त मासिक अँशदान को मिलाकर अब आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक मानदेय 6,300 रुपये होगा। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार ने आँगनबाड़ी सहायकों का मासिक मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये तथा मिनी आँगनबाड़ी वर्कर्ज़ का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मासिक अँशदान को मिलाकर अब इन्हें क्रमशः 3,200 रुपये एवं 4,600 रुपये मिलेगा।

**192.** महिला एवं बाल विकास हेतु 2019–20 में 534 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।

**193.** राज्य में विभिन्न पैंशनयोजनाओं के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में 750 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। विभिन्न सामाजिक सुरक्षायोजनाओं के लिये 642 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा किः–

*आसान नहीं होता,*
*किसी ताले की चाबी होना।*
*गहराई में समाकर,*
*दिल जीतना पड़ता है।।*

**194.** मैं, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जो ठीक हो चुके हैं, के लिये गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से एक आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह आश्रय गृह ऐसे व्यक्ति को आश्रय, भोजन, चिकित्सा परिचर्या और एक सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण आदि समस्त मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा। उपरोक्तयोजनाओं के लिये कंपनियों का Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत सहयोग अपेक्षित रहेगा।

**195.** सामाजिक, न्याय व अधिकारिता विभाग के लिये 2019–20 में 2,543 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है।

**196.** अनुसूचित क्षेत्रों का समुचित व संतुलित विकास तथा अनुसूचित जनजाति लोगों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

**197. "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम"** के अन्तर्गत युवाओं एवं दस्तकारों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के युवाओं एवं दस्तकारों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प तथा कम्प्यूटर प्रोग्राम में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

**198.** जन–जातीय विकास हेतु 2019–20 में 1,564 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।

**199.** हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है। प्रदेश के नौजवानों ने तन व मन से फौज और अर्ध–सरकारी सैन्य बलों में भर्ती होकर देश की सेवा की है। सेवारत, सेवानिवृत एवं देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से नूरपुर में युद्ध स्मारक का निर्माण आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। कीर्ति चक्र प्राप्त सैनिकों की annuity को वर्तमान 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की भी घोषणा करता हूँ। देश की सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के लिये एस.एस.बी. कोचिंग हेतु वर्तमान में दी जा रही एक मुश्त प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।

**200.** हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही है। पुलिस बल में रिक्तियों को शीघ्र भरा जा रहा है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने कॉन्स्टेबलों के 1,063 पद भरने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है। साथ ही जम्मू–कश्मीर सीमा पर तैनात SPOs की सेवाओं और उनकी कठिनाईयों के दृष्टिगत इनके मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

**201.** मैं वर्तमान पुलिस प्रक्रिया में सुधार भी प्रस्तावित करता हूँ। इस समय प्रदेश में केवल थानों में ही प्राथमिकी पंजीक त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतकर्ता को प्राथमिकी दर्ज

करवाने के लिये सम्बन्धित थाने में जाने के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है और खर्च भी वहन करना पड़ता है। प्रदेश के वासियों को सुगम एवं त्वरित पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस सुविधा से शिकायतकर्ता निकटतम् पुलिस चौकी में भी अपनी प्राथमिकी दर्ज़ करवा पाएंगे।

**202.** आबकारी अपराधों की जाँच के लिये अभी ASI और उस से ऊपर के अधिकारी ही आबकारी अधिनियम 2011 के तहत अधिकृत हैं। कानून में संशोधन करके मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत स्नातक आरक्षियों को अपराध से जुड़े मामलों में, जहाँ सजा का प्रावधान तीन वर्ष और उससे कम हो, अथवा जहाँ केवल जुर्माने का प्रावधान हो, अन्वे ाण करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग के अधिकारी अन्य जघन्य अपराधों के अन्वे ाण पर ध्यान दे पाएंगे, जिससे पुलिस प्रणाली में चुस्ती आएगी साथ ही आरक्षियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।

**203.** नशे का बढ़ता प्रचलन विश्व और देश के लिये एक विकराल समस्या का रूप ले रहा है। दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश भी इस समस्या से अछूता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गत् एक वर्ष में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशा निवारण की दिशा में कई प्रयास किए हैं। कानून में आवश्यक संशोधन किया गया है। मैंने स्वयं पहल कर पड़ौसी राज्यों की सरकारों के साथ संवाद स्थापित किया। हमने मिलकर निर्णय लिया कि प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक नियमित रूप से सम्बन्धित सूचना साँझा करेंगे। इसके अतिरिक्त, नशे के विरुद्ध एक राज्य व्यापी अभियान भी जन–आंदोलन के रूप में शुरु किया गया है।

**204.** मादक पदार्थों की तस्करी एवं प्रयोग को रोकने के लिये विभिन्न विभाग जैसेः सामाजिक कल्याण, पुलिस, युवा खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आबकारी विभाग काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि नशे के खिलाफ अभियान में इन सभी विभागों को एक साथ मिल कर नीति बनानी चाहिए व उस पर कार्य करना चाहिए। साथ ही इसमें जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में **"युवा नव जीवन बोर्ड"** की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मेरी अध्यक्षता में काम करेगा तथा इसमें उपरोक्त सभी विभागों के सचिव, इस विषय के experts व जनता के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बोर्ड प्रदेश में मादक पदार्थों के प्रयोग की रोकथाम व नशाग्रस्त युवाओं के नशामुक्ति व पुनर्वास के लिये प्रभावी नीतियां बनाएगा तथा इनकी मॉनिटरिंग भी करेगा। मुझे आशा है कि इस बोर्ड के बनने से प्रदेश में मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सकेगा। मैं प्रदेश में शीघ्र ही 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की घोषणा करता हूँ, जहाँ पर प्रभावित व्यक्तियों के उपचार एवं परामर्श सेवा की उचित व्यवस्था होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ यह कहना उचित होगा कि–

*यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है*
*हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है*

**205.** मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेषकार्यदल का गठन किया जाएगा जो पड़ौसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर हमारी सरकार के नशे के विरुद्ध अभियान को और सुदृढ़ करेगा। यदि आवश्यकता हुई तो सम्बन्धित कानूनों को भी और सख्त बनाया जाएगा।

**206.** अपराध जाँच में तकनीक के और प्रभावी इस्तेमाल के लिये प्रदेश भर में फोरेंसिक सेवा नेटवर्क का सुधार किया जाएगा। उत्तरी रेंज में नूरपुर एवं दक्षिणी रेंज में पुलिस जिला बद्दी में एक–एक जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

**207**. प्रदेश के पड़ौसी राज्यों के साथ लगती लगभग 941 किलोमीटर लम्बी सीमा पर, तथा प्रदेश के भीतर, मादक पदार्थों व वन सम्पदा की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर निरन्तर नजर बनाये रखने के लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 150 अति संवेदनशील स्थानों पर IP-enabled High Resolution CCTV Cameras लगाने की भी घोषणा करता हूँ। मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिये हमारी सरकार के प्रयासों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश के सभी 13 पुलिस जिलों में एक–एक तकनीकी कोष्ठ की स्थापना का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन तकनीकी कोष्ठों में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक पर आधारित नवीनतम् उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

**208.** मैं गृह विभाग, जिसमें पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन तथा कारागार शामिल हैं, के लिये 1,609 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

**209.** प्रदेश में पारिवारिक झगड़ों से सम्बन्धित मामलों के निपटारे हेतु 3 Family Courts स्थापित किए जाएंगे।

**210.** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पिछले एक वर्ष में कर्मचारियों के कल्याण के लिये सजग रही है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि सभी कार्यमूलक (functional) पद शीघ्रभरे जाएं। लगभग प्रत्येक मन्त्रिमण्डल की बैठक में पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जा रही है। 2019–20 में 20,000 से अधिक कार्यमूलक पद भरे जाने अपेक्षित हैं। इनमें 8,000 शिक्षकों के पद, 300 डॉक्टर, 3,000 पैरामैडिकल स्टाफ व नर्सें, 1,000 कनिष्ट कार्यालय सहायक (आई.टी. )/क्लर्क, 400 पटवारी, 1,400 पुलिस कॉन्सटेबल, 200 फॉरेस्ट गार्ड, 200 कनिष्ट अभियन्ता, 50 सहायक अभियन्ता के पद सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में अलग–अलग श्रेणियों के लगभग 800 पद, बिजली बोर्ड में 1,000 पद तथा अन्य विभागों में लगभग 3,500 पद भरे जाने की संभावना है।

**211.** हमारी सरकार पंजाब Pay Commission द्वारा नये वेतनमान की रिपोर्ट के आने पर नये वेतनमान प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

**212.** मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि नई पैंशन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अँशदान की वर्तमान दर 10 प्रतिशत को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस प्रयोजन हेतु लगभग 175 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

**213.** मैं 1 जुलाई, 2018 से हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते तथा सरकार के पैंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करने की भी **सहर्ष घोषणा** करता हूँ। अनुबन्ध कर्मचारियों को वेतन मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा 100 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जा रहा है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में अनुबन्ध कर्मचारियों को मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा 125 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जाएगा।

**214.** प्रदेश सरकार करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से सम्बन्धित नीति में आवश्यक सुधार करने की पक्षधर है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 50 वर्ष की आयु से पहले हुई हो तो उसी स्थिति में उसके आश्रितों में से एक सरकार में रोज़गार पाने के लिये पात्र होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि इस आयु सीमा को सेवा निवृति की आयु सीमा तक बढ़ाया जाएगा। ऐसी नियुक्तियों में पात्रता के लिये आय सीमा में बढ़ौतरी का भी प्रस्ताव है। हमारे पास करुणामूलक आधार पर नौकरी हेतु बहुत सारे मामले लम्बित हैं। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जिसकी सरकारी नौकरी के दौरान 50 वर्ष तक की आयु में मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी के लिए पात्र होता है। लेकिन मुझे लगा कि यह मानवीय दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है कि कब होनी है। इसलिए हमने आने वाले समय के लिए इस बात को सुनिश्चित किया है कि यदि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु से पहले मृत्यु होती है तो उस परिवार के एक व्यक्ति को करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी दी जायेगी।

**215.** मैं **सहर्ष घोषणा** करता हूँ कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 5910–20200 रुपये के पे–बैण्ड में 1900 रुपये ग्रेड पे ले रहे हैं तथा 20 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि पाने के पात्र होंगे। इसके साथ ही दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 225 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन किए जाने की घोषणा करता हूँ। अंशकालिक कर्मियों की प्रति घंटा दरों में भी बढ़ौतरी की जाएगी।

**216.** उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं 2018–19 के संशोधित अनुमानों तथा 2019–20 के बजट अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 31 हजार,

189 करोड़ रुपये हैं, जबकि 2018–19 के बजट में यह प्राप्तियां 30 हजार, 400 करोड़ रुपये अनुमानित थीं। इसी प्रकार 2018–19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 33 हजार, 408 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि बजट में 33 हजार 568 करोड़ रुपये अनुमानित था। इस प्रकार संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व घाटा 2 हजार, 219 करोड़ रुपये रहेगा जो कि 2018–19 के बजट अनुमान से 949 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान कुल राजकोषीय घाटा 7 हजार, 786 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.14 प्रतिशत है। 2018–19 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.16 प्रतिशत आँका गया था।

**217.** वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस घज्ञटे को पूरा करने के लिये 4 हजार, 546 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण लेने का अनुमान है, जो कि Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के प्रावधानों के अनुसार है।

**218.** वर्ष 2019–20 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियां 33 हजार, 747 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 36 हजार, 089 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 2 हजार, 342 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 7 हजार, 352 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.35 प्रतिशत होगा। प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अन्तर को ऋण के माध्यम से पोषित किया जाएगा तथा यह शुद्ध ऋण 5 हजार, 068 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह ऋण FRBM अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही लिये जाएंगे।

**219.** उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तुत बजट अनुमानों में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। चालूयोजनाओं तथा प्रस्तावित नईयोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना हमारी सरकार के लिये एक चुनौती रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभावी कर प्रबंधन, भारत के सहयोग, वैकल्पिक संसाधनों एवं विशुद्ध वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से इन सभीयोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाएगी।

**220.** व्यय किए गए प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 27.84 रुपये, पैंशन पर 15 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10.25 रुपये, ऋण अदायगी पर 7.35 रुपये, जबकि शेष 39.56 रुपये विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है।

**221.** आँकड़े कहते हैं कि वित्तीय कठिनाईयां हैं, आमदनी के साधन सीमित हैं, फिर भी हमारा दृढ़ निश्चय है कि विकास की यह यात्रा हर हिमाचली तक जरूर पहुँचे।

यहाँ पर मैं हर दिल अज़ीज अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को आपके साथ साँझा करना चाहूँगा–

*विपदाएं आती हैं आएं,*
*हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे।*
*आघातों की क्या चिंता है?*
*हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे।।*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बजट के सारांश पर आऊं मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछली बार जो हमने अपना बजट प्रस्तुत किया था और उसमें जिन योजनाओं का जिक्र हुआ है वे तमाम योजनाएं यथावत तथा मजबूती के साथ प्रदेश के विकास में आगे बढ़ेंगी। उन तमाम योजनाओं के लिए हमने बजट प्रावधान किए हुए हैं। यह विषय और लम्बा न जाए इसलिए मैंने उनको यहां दोबारा से दोहराना उचित नहीं समझा। लेकिन मैं यहां पर इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जिन योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है वे तमाम योजनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन योजनाओं को और मजबूत करने और वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से अगर उनमें और ज्यादा बजट प्रबंधन की आवश्यकता होगी तो वह भी उसमें की जायेगी।

**222.** अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- वर्तमान सरकार का एक साल का कार्यकाल एक 'ईमानदार प्रयास, सब का विकास' का एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प "सबका साथ–सबका विकास" ही प्रदेश की विकास नीति का केन्द्र बिन्दु है।

- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

- अधिकाँश Sustainable Development Goals को 2030 के स्थान पर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

- नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने Sustainable Development Goal की प्राप्ति की दिशा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

- 2019–20 के लिये वार्षिक योजना का आकार 7,100 करोड़ होगा।

- केन्द्र सरकार के सहयोग से एक वर्ष में 10,330 करोड़ की Externally Aided Projects परियोजनाएं अनुशंसित करवाई गईं।

- विधायक प्राथमिकतायोजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय पोषण हेतु वर्तमान निर्धारित सीमा 90 करोड़ को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा।

- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा।

- माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाएगा।

- विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण हेतु प्रति युवक मण्डल प्रदान कर पाएंगे। महिला मण्डलों के लिये भी इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा।

- आपातकाल के दौरान MISA के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

- 136 अतिरिक्त G2C सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर ई–डिस्ट्रक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

- उच्च और अत्याधुनिक तकनीक से एक राज्य स्तरीय लोक सुरक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में 'मुख्यमन्त्री हेल्पलाईन सुविधा' की स्थापना होगी। राज्य सरकार को आम नागरिक के करीब लाने के लिये MyGov पोर्टल शुरु किया जाएगा।

- केन्द्र सरकार की "उज्जवला" योजना में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक सिलेंडर, गैस चूल्हा एवं पाईप देगी।

- "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" और केन्द्रीय "उज्जवला" योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। इसका लाभ 2 लाख परिवारों को मिलेगा।

- लोगों की माँग/सुझाव को देखते हुए फसल संरक्षण हेतु "मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत" काँटेदार तार/चेन लिंक बाड़ लगाने के लिये 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी।

- प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिये देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिये 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

- कृषकों द्वारा सिंचाई के लिये बिजली की दर घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी।

- (Doubling of Farmers' Income through Water Conservation and Other Activities) परियोजना एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से शुरु की जाएगी।

- 2019–20 में 'नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना' को पूरा कर इसे चालू कर दिया जाएगा। 'फिना सिंह सिंचाई परियोजना' को गति प्रदान की जाएगी। स्वाँ नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना तथा छौंच खड्ड तटीकरण परियोजना को और गति दी जाएगी।

- "हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजना" के पहले चरण में 1,235 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 1,850 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा बाह्य सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।

- "मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना" में मिलने वाली राशि दोगुनी होगी।

- 150 करोड़ रुपये की "मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस परियोजना" शुरु की जाएगी। एंटी हेलनेट के तहत बजट को 100 प्रतिशत बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- "मुख्यमन्त्री खुम्ब विकास योजना" शुरु की जाएगी।

- 1,688 करोड़ रुपये की च्H.P. Sub Tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition (SHIVA) बाह्य सहायता से लागू की जाएगी।

- 11 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा तथा इनके संरक्षण एवं प्रसार हेतु Embryo Transfer Technology शुरु की जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा।

- दत्तनगर जिला शिमला एवं चक्कर, जिला मण्डी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

- दूध खरीद मूल्य को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया जाएगा।

- 2019–20 में 100 ट्राउट ईकाईयों की स्थापना होगी तथा कार्प मच्छली उत्पादन के लिये लगभग 10 हैक्टेयर में नए तालाबों का निर्माण भी किया जाएगा। काँगड़ा, चम्बा और शिमला जिलों में मत्स्य खुदरा विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा मत्स्य पालकों की ईकाईयों को बीमाकृत किया जाएगा।

- पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 4,500 रुपये किया जाएगा।

- परम्परागत कौशल और शिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य कुशल कामगारों के लिये "मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना" प्रारम्भ होगी।

- विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आवासीययोजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान उपदान के अतिरिक्त 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से राज्य द्वारा अपने संसाधनों से प्रदान किए जाएंगे। "मुख्यमन्त्री आवास योजना" के अन्तर्गत आवासों की मुरम्मत हेतु अब 35,000 रुपये दिये जाएंगे।

- समाज को बेटियों व वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिये एक नई योजना "एक बूटा, बेटी के नाम" लागू की जाएगी।

- जंगलों की आग की रोकथाम हेतु SMS सेवा के माध्यम से व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। चीड़ की पत्तियों पर आधारित 25 लघु उद्योगों को उपदान देकर स्थापित किए जाएंगे।

- एक नई योजना Mukhya Mantri Green Technology Transfer Schemeछ शुरु की जाएगी।

- ऊना और चम्बा जिलों में "एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना" आरम्भ की जाएगी। सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण के लिये 250 ऑडिटर्ज़ को सूचीबद्ध किया जाएगा।

- 200 अति संवेदनशील बीटों में तैनात वन्य कर्मियों को 15,000 रुपये तक का अनुदान देकर निजी हथियार उपलब्ध करवाये जाएंगे।

- शहरी निकायों के चुने हुए जन–प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।

- राज्य आपदा राहत बल (SDRF) का गठन किया जाएगा।

- 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।

- "मुख्यमन्त्री स्वजल योजना" शुरु की जाएगी जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये 50 मीटर पाईप 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

- सिंचाई एवम् जन–स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वाटर गार्डज़ का मानदेय 3,000 रुपये तथा पैरा–फिटर्ज़ एवम् पम्प ऑपरेटर्ज़ का मानदेय 4,000 रुपये किया जाएगा।

- सरकार एक नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लेकर आएगी।

- 2019 में धर्मशाला में एक 'Global Investors Summit' का आयोजन होगा।

- "मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना" के तहत अब अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी तथा अधिकतम निवेश 60 लाख रुपये किया जाएगा।

- एक नई "मुख्यमन्त्री दस्तकार सहायता योजना" आरम्भ की जाएगी।

- काँगड़ा के चन्नौर, बिलासपुर के गेहड़वीं व ऊना के बसौली बनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।

- 2019–20 में 500 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना। चान्जू–3 तथा दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजननाओं का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाएगा।

- "मुख्यमन्त्री रोशनी योजना" आरम्भ की जाएगी जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सर्विस चार्जिज़ नहीं देने पड़ेंगे।

- बिजली पर सब्सिडी के लिये 475 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिये नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ईको– टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये मास्टर प्लान किया जाएगा।

- पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मण्डी जिले में एक "शिव धाम" स्थापित किया जाएगा।

- बाह्य सहायता से 1,892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना आरम्भ की जाएगी।

- "कौशल विकास भत्ता योजना" के लिये 100 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान होगा।

- परिवहन निगम द्वारा Integrated Public Transport Management System (IPTMS) प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

- नई विद्युत वाहन नीति तैयार की जाएगी।

- सड़कों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये Indian Road Congress (IRC) मान्यता प्राप्त गैर–पारम्परिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किया जाएगा।

- 750 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 850 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर पुलियों का निर्माण, 1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा तथा 50 नए गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

- GST में पंजीकरण हेतु वार्षिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कम्पोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- CGCR, PGT & AGT को ऑनलाईन तथा 'मोबाईल ऐप' के माध्यम से जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

- विद्यालयों में वीडियो सम्मेलन कक्षों की स्थापना की जाएगी।
- 15 नये अटल आदर्श विद्या केन्द्र प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

- नई "CV Raman Virtual Class Room Yojna" को आरम्भ होगी।

- "खेल से स्वास्थ्य योजना" आरम्भ की जाएगी।

- नई "अटल निर्मल जल योजना" के तहत Water Filter लगाए जाएंगे।

- "नवधारणा" योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का आरम्भ किया जाएगा।

- 50 ITIs को और आधुनिक बनाया जाएगा। 5,500 अतिरिक्त विद्यार्थी ITIs में दाखिला ले सकेंगे।

- 'मुख्यमन्त्री युवा निर्माण योजना' के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े खेल के मैदानों का निर्माण, जिसमें जिम सुविधा भी उपलब्ध होगी।

- "खेल–कूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम" शुरु किया जाएगा।

- परफार्मिंग आर्टस इत्यादि में अध्ययन के लिये "मुख्यमन्त्री कलाकार प्रोत्साहन योजना" शुरु की जाएगी।

- राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैप–टॉप प्रदान किये जाएंगे।

- "पत्रकार कल्याण योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये और सेवानिव त पत्रकारों के लिये 1 लाख रुपये की जाएगी।

- 500 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस (Wellness) केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

- "सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना" के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

- लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी एवं डॉ0 वाई. एस. परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नाहन में हृदय एवं सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिये Cath Labs की स्थापना की जाएगी।
- इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेजए शिमला में Digital SubtrAction Angiography Machine स्थापित की जाएगी।

- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक नई योजना 'सहारा' का आरम्भ किया जाएगा।

- एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।

- "जननी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत प्रसूतज्ञटों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा।

- ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये Mobile Diagnostic Van तैनात किए जाएंगे।

- आशा वर्कर्ज़ का मानदेय बढ़ाया जाएगा।

- हिम केयर के अन्तर्गत, ऐसे MGNREG। मजदूरों, जिन्होंने कम से कम 50 दिन का रोज़गार प्राप्त किया हो, तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को यह कवर रियायती दर पर दिया जाएगा।

- 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया जाएगा। इन विधवाओं को ।T। एवं नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा।

- बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अलग से 'आफ्टर केयर होम' स्थापित किए जाएंगे तथा इन बच्चों को फलेक्सी ।T। के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों तथा मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा।

- प्रदेश के सभी पाँच लाख से अधिक पैंशनधारकों की पेंशन को बढ़ाया जाएगा।

- नूरपुर में युद्ध स्मारक का निर्माण होगा।
- एस.एस.बी. कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।

- प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा तथा मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किया जाएगा। स्नातक आरक्षियों को भी कुछ मामलों में जाँच शक्तियां दी जाएंगी।

- मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिये "युवा नव जीवन बोर्ड" की स्थापना की जाएगी तथा 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- लगभग 20,000 कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।

- पंजाब वेतन आयोग की संस्तुति के पश्चात् प्रदेश में संशोधित वेतनमान जारी कर दिए जाएंगे।

- एन.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत अँशदान को 14 प्रतिशत किया जाएगा।

- करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से सम्बन्धित नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

- 1 जुलाई, 2018 से प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत दी जाएगी।

- ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल का कार्यकाल पूरा लिया हो तथा 5,910–20,200 के पे–बैंड में 1,900 रुपये ग्रेड पे ले रहे हों, को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

**223.** प्रस्तुत बजट प्रदेश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नई योजनाओं के आरम्भ करने के साथ–साथ चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र की लगभग हर योजना युवा पीढ़ी को रोज़गार अवसर प्रदान कर, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है। युवाओं के कौशल

को स्तरोन्नत कर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार हेतु उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के प्रयास भी इन बजट प्रस्तावों में किए गये हैं। महिलाओं, वृद्धों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त सहायता देने का प्रयास किया गया है। मूलभूत एवं सामाजिक अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिये भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं तथा शासन को और प्रभावी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी बल दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश की जनता से स्थापित संवाद को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी भागीदारी से प्रदेश के विकास की गति को और तीव्रता प्रदान की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इन शाब्दों के साथ इस बजट को माननीय सदन को संस्तुत करना चाहूँगा :–

*सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों,*
*जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है।*
*मेरी मंजिल तो आसमान है,*
*रास्ता मुझे खुद बनाना है।।*

**जय हिन्द – जय हिमाचल**

**उपाध्यक्ष** : अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार दिनांक 11 फरवरी, 2019 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

**शिमला-171004** **सचिव,**
**दिनांक : 9 फरवरी, 2019** **हि0 प्र0 विधान सभा।**